



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2016—ज्येष्ठ 13, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2016

क्र. ई-1-337-2007-5-एक.—श्री विनोद कुमार कटेला, सेवा निवृत्त भा.प्र.से. (1992) तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरुद्ध सुश्री शारदा टिकनू निवासी डिपुपारा जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा की गई शिकायत पर थाना अजाक, बिलासपुर (छ.ग.) में धारा 376 (ख) भारतीय दण्ड विधान तथा धारा 3(1)(12) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध क्रमांक 2/2001, दिनांक 27 अप्रैल 2001 को पंजीबद्ध किया गया और उनके विरुद्ध दिनांक 16 दिसम्बर 2005 को माननीय न्यायालय, बिलासपुर में चालान प्रस्तुत किया गया. श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 को पुलिस हिरासत में लिये जाने एवं तत्पश्चात्

उन्हें जेल में निरुद्ध (Custody) किए जाने की अवधि 48 घण्टे से अधिक होने के कारण श्री कटेला को विभागीय आदेश दिनांक 17 मई 2007 द्वारा दिनांक 14 मई 2007 से निलंबित किया गया. श्री कटेला के निलंबन में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही. अंतिम बार श्री कटेला के निलंबन में 17 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2012 से 180 दिवस की वृद्धि की गई.

(2) माननीय विशेष सत्र न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) ने विशेष प्रकरण क्रमांक 32/2007 में दिनांक 7 अप्रैल 2012 द्वारा श्री कटेला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया.

“अभियोजन संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 (2)(ख) भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है. परिणामतः अभियुक्त विनोद कुमार जैन आत्मज श्री नेमीचंद जैन को धारा 376(2)(ख)

भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं.”

(3) आवंटन वर्ष 1991 के पूर्व के अवशेष अधिकारी व आवंटन वर्ष 1992 के अधिकारियों की अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के बारे में विचार करने हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी 2008 को आयोजित की गई थी. तत्समय श्री व्ही. के. कटेला भा.प्र.से. (1992) के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण लंबित था तथा वे दिनांक 14 मई, 2007 से निलंबनाधीन थे. इसके अलावा श्री कटेला के अप्रैल 1998 से जुलाई 1998, अप्रैल 2000 से दिसम्बर, 2000, वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2006-07 के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे. समिति द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने से श्री कटेला की पदोन्नति की उपयुक्तता के संबंध में विचार नहीं किया गया और यह निर्देश दिये कि श्री कटेला के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन एकत्र होने पर उनका प्रकरण समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए. आवंटन वर्ष 1992 के भा.प्र.से. अधिकारियों को भा.प्र.से. के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति प्रदान करने संबंधी आदेश क्रमांक ई-1-53-2006-5-एक, दिनांक 26 फरवरी 2008 द्वारा जारी किये गये.

(4) श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (1992) के अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के पद पर पदस्थ रहने के दौरान प्रकरण क्रमांक रिब्यू-201-बी-121-2001-02 श्री भगवान-दास पटेल विरुद्ध शासन में दिनांक 22 दिसम्बर 2004 को नियम विरुद्ध आदेश पारित करने के कारण दिनांक 29 जून 2010 को श्री कटेला को जारी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. इस बारे में श्री कटेला से अंतरिम एवं अंतिम उत्तर क्रमशः दिनांक 22 अप्रैल 2011 एवं दिनांक 24 मई 2011 को प्राप्त हुआ. श्री कटेला के उक्त उत्तरों पर आयुक्त, जबलपुर संभाग से दिनांक 17 जुलाई 2012 को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ.

विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा श्री कटेला के विरुद्ध दिनांक 29 जून 2010 को जारी उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र से संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही का यह प्रकरण अप्रसन्नता संसूचित करते हुए पर बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया.

(5) श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 से 14 जुलाई 2012 तक की निलंबन अवधि के नियमन एवं इस अवधि के स्वत्वों के भुगतान आदि के संबंध में अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 5बी(5) सहपठित नियम 5बी(9) के अन्तर्गत दिनांक 13 अगस्त 2015 को इस आशय का सूचना पत्र जारी किया गया कि चूंकि माननीय सत्र न्यायालय बिलासपुर द्वारा निर्णय दिनांक 7 अप्रैल 2012 से श्री कटेला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है, तथा ऐसे करते समय माननीय न्यायालय

द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में श्री कटेला के विरुद्ध संस्थित इस आपराधिक प्रकरण और उसके अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा की गई श्री कटेला के निलंबन की कार्यवाही को किसी भी तरह “पूरी तरह अनौचित्यपूर्ण” (wholly unjustified) नहीं ठहराया जा सकता है. अतः क्यों ना श्री कटेला की निलंबन अवधि के लिए उनके वेतन एवं भत्तों की राशि इस निलंबन अवधि में श्री कटेला को प्राप्त हुए जीवन निर्वाह भत्ता की राशि तक सीमित कर दी जाए तथा उक्त नियम 5(बी) के उपनियम (7) में तहत उपरोक्त निलंबन अवधि कर्तव्य अवधि मान्य की जाए. श्री कटेला से इस संबंध में नोटिस प्राप्ति से 60 दिवस के भीतर अभ्यावेदन चाहा गया. श्री कटेला का अभ्यावेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2013 विभाग में दिनांक 26 अक्टूबर 2015 को प्राप्त हुआ. श्री विनोद कुमार कटेला, भा.प्र.से. (1992), अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरुद्ध संस्थित उक्त विभागीय जांच प्रकरण आदेश क्रमांक डी-2-16-2007-6-एक, दिनांक 9 मार्च 2016 द्वारा सापेक्ष निराकृत किया गया है और श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 से 14 जुलाई 2012 तक की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए, इस अवधि के समस्त वेतन भत्तों आदि का भुगतान श्री कटेला को उनकी निलंबन अवधि में उन्हें प्रदान किये गए निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्तों आदि का सामायोजन करते हुए किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक डी-2-16-2007-6-एक, दिनांक 9 मार्च 2016 अनुसार श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (म. प्र. 1992) तत्कालीन अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के विरुद्ध संस्थित अभियोजन प्रकरण में उनके दोष मुक्त होने, उन्हें जारी कारण बताओ पत्र उपरोक्तानुसार समाप्त किए जाने और श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 से 14 जुलाई 2012 तक की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए, इस अवधि के समस्त वेतन भत्तों आदि का भुगतान श्री कटेला को उनकी निलंबन अवधि में उन्हें प्रदान किये गये निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्तों आदि का सामायोजन करते हुए, किए जाने की बारे में स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप अब श्री विनोद कुमार कटेला, भा.प्र.से. (1992) प्रवर श्रेणी वेतनमान से अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु अर्हता प्राप्त कर चुके हैं.

(7) श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (1992) को स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान/पदोन्नति आदेश क्रमांक ई-1-334-2004-5-एक, दिनांक 1 जनवरी 2005 को जारी किया गया और श्री कटेला प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत रहते हुए दिनांक 30 जून 2015 सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

(8) श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (1992) के विरुद्ध संस्थित प्रकरण उपरोक्तानुसार बिना किसी दण्ड के समाप्त किया जाने के आलोक में आवंटन वर्ष 1992 के भा.प्र.से. अधिकारियों में श्री विनोद कुमार कटेला, भा.प्र.से. (1992) को आवंटन वर्ष

1992 के अन्य भा.प्र.से. को प्राप्त अधिसमय वेतनमान प्रदान किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 20 मई 2008 से अधिसमय वेतनमान (रुपये 37400— 67000+ग्रेड पे 10,000) काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है।

(9) अधिसमय वेतनमान में श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (1992) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 26 फरवरी 2008 से निर्धारित होंगे, किन्तु उन्हें काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 20 मई 2008 से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 30 जून 2015 के बीच की अवधि के वेतन/भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता “काम नहीं वेतन नहीं” के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी।

भोपाल, दिनांक 5 मई 2016

क्र. ई.-5-690-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मई 2016 एवं 21, 22 मई 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरुद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-691-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मई 2016 एवं दिनांक 21, 22 मई 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 6 मई 2016

क्र. ई.-5-848-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग को दिनांक 14 से 23 अप्रैल 2016 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 मई 2016

क्र. ई.-5-483-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. सिंह, आयएएस., राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मई 2016 तथा दिनांक 20, 21 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री के. के. सिंह, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव रंजन, भाप्रसे विकअ-सह-आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. के. सिंह द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 मई 2016

क्र. ई.-5-825-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएस., कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 6 से 11 मई 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में डॉ. आर. आर. भोंसले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आर. आर. भोंसले, कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 मई 2016

क्र. ई.-5-649-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएस., सचिव, (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23 से 26 मई 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को सचिव, (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-687-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश व्यास, आयएस., आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 16 से 27 अगस्त 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 अगस्त 2016 एवं 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-873-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, आयएस., कलेक्टर, जिला उमरिया को दिनांक 3 से 6 मई 2016 तक, चार दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अभिषेक सिंह की अवकाश अवधि में श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह चौहान, अपर कलेक्टर जिला उमरिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उमरिया का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अभिषेक सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला उमरिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह चौहान, कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. ई.-1-163-2016-5-एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे (1999) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 16 मई 2016

क्र. ई.-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 26 मई से 25 जून 2016 तक इक्कीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन का प्रभार श्री व्ही. किरण गोपाल, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक एडस तथा अपर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश का प्रभार श्री एम सेलवेन्द्रन, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. किरण गोपाल तथा श्री एम सेलवेन्द्रन सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस., अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 7 से 17 मई 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-882-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस., अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 21 से 27 अप्रैल 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-951-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस., उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 मई 2016

क्र. ई.-5-483-आयएएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2016 द्वारा श्री के. के. सिंह, आयएएस., पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनकी अवकाश अवधि में पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त का प्रभार श्री राजीव रंजन, भाप्रसे विकअ-सह-आयुक्त-भू-अभिलेख बंदोवस्त, ग्वालियर तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा गया है।

(2) श्री राजीव रंजन, भाप्रसे के पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रेक्षक के पद पर प्रवास पर रहने के फलस्वरूप श्री के. के. सिंह, आयएएस., पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त की अवकाश अवधि में उनका प्रभार अब श्री राजीव रंजन के स्थान पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

क्र. ई.-5-671-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 द्वारा दिनांक 26 मई से 25 जून 2016 तक इक्तीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोध करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 मई से 17 जून 2016 तक इक्तीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 अनुसार यथावत्.

क्र. ई.-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश व्यास, आयएएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 मई 2016 एवं 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री नीतेश व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संदीप यादव, भाप्रसे, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-772-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएएस., कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 25 मई से 2 जून 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, बशर्ते कि ग्रामोदय अभियान पूर्ण हो और इन्दौर में कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या न हो.

(2) श्री पी. नरहरि की अवकाश अवधि में श्री दीपक सिंह, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सिंह, कलेक्टर, जिला इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2016

क्र. ई.-5-536-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. एम. मोहनराव, आयएएस., संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 मई 2016 एवं 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. एम. मोहनराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. एम. मोहनराव द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री केदार लाल शर्मा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 25 मई 2016 से 16 जून 2016 तक, तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. के. वाष्णीय, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मा. अ.) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. वाष्णीय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-609-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को दिनांक 30 मई 2016 से 10 जून 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे, आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-675-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, आयएएस., प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को दिनांक 2 से 10 जून 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्रा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-686-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दिनांक 30 मई 2016 से 4 जून 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 मई 2016 एवं 5 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस के अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री फैज अहमद किदवई द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहनलाल मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2016

क्र. ई-1-152-2016-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र. अधिकारी का नाम	सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(1)	(2)
1	श्री बालागुरू के. ग्वालियर
2	श्री पार्थ जैसवाल बालाघाट
3	श्री हिमांशु चन्द्र रायसेन
4	सुश्री जे रीभा सागर
5	सुश्री संस्कृति जैन होशंगाबाद
6	श्री हर्षल पंचोली सिंगरौली
7	श्री मृणाल मीना रीवा
8	सुश्री रानी बंसल उज्जैन
9	श्री अर्पित वर्मा मंदसौर
10	सुश्री अदिति गर्ग खण्डवा
11	श्री हर्ष सिंह धार
12	श्री रौशन कुमार सिंह सीहोर
13	श्री रितुराज रतलाम

(2) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

क्र. ई-5-805-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 25 अप्रैल 2016 से 7 मई 2016 तक तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून 2016 एवं 18 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त, नगर निगम, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

क्र. एफ 5-1-2016-एक.—(1) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री जे. के. जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 29 से 30 मार्च 2016 तक के आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-ईएसटीटी(ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एल.टी.सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एकमुश्त किया जावे। भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटायी नहीं जावेगा।

क्र. एफ 5-04-2013-एक.—(1) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री यू. सी. माहेश्वरी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 23 से 26 मार्च 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-ईएसटीटी(ए), दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एल.टी.सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एकमुश्त किया जावे। भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटायी नहीं जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2016

क्र. ई-1-337-2007-5-एक-संशोधन.—श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त, भा.प्र.से. (1992) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति संबंधी इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 मई 2016 के पृष्ठ-3 के पद-8 एवं 9 में उल्लेखित अंश "दिनांक-20-05-2008" के स्थान पर "दिनांक 26-02-2008" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव (कार्मिक).

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

क्र. ई.-5-546-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा विकअ कार्यालय आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 21 से 26 मार्च 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ 19, 20 मार्च 2016 एवं 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिला था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अपर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

क्र. एफ-1(ए)18-82-ब-2-दो.—श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.पु.से. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 5 एवं 11-12 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्ट वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत पत्नी के साथ कारगिल (जम्मू कश्मीर) जाने की अनुमति तथा 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	स्वयं
2	श्रीमती मीरा सिंह	पत्नी

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

3. अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2016

क्र. एफ-1(बी)85-2014-बी-4-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2016 द्वारा श्री अनिल कुमार सोनी, ए-32-अभिनंदन नगर, सुखलिया, इन्दौर, मध्यप्रदेश की वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति संबंधी जारी आदेश की कंडिका-1 की पंक्ति-7 में त्रुटिवश अंकित वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के स्थान पर वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) पढ़ा जाये।

2. पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2016 की शेष कंडिकाये यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

क्र. एफ-1-79-2015-ब-2-दो.—श्री विजय कटारिया, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध ब्यूरो, भोपाल एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.पु. स्था. लोका. संगठन, भोपाल को मिड-केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस-3, (एमसीटीपी) फेस-5 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 6 जून 2016 से 17 जून 2016 तक, हैदराबाद एवं दिनांक 19 जून 2016 से 25 जून 2016 तक, यू. एस. ए. में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त श्री विजय कटारिया, भापुसे एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को दिनांक 27 से 30 जून 2016 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश के लाभ के साथ (एक्स-इण्डिया लीव्ह) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध ब्यूरो, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

3. अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.पु. स्था. लोका. संगठन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

4. अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुसे एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 मई 2016

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-1442-16.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 24 एवं 33 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अ.क्र.	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"24	सेशन न्यायाधीश, झाबुआ	झाबुआ
33	सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	राजगढ़"

F-No.-1-1-88-XXI-B(1)-1442-016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 6th November 2009 namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule for serial number 24 and 33 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"24.	Sessions Judge, Jhabua	Jhabua
33.	Sessions Judge, Rajgarh	Rajgarh."

भोपाल, दिनांक 10 मई 2016

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक)1782.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की चयन सूची दिनांक 3 सितम्बर 2015 में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री जयबीर सिंह (मेरिट क्र. 34) की ओर से प्रेषित आवेदन पत्र, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जयबीर सिंह का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 34 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है। साथ ही श्री जयबीर सिंह का नियुक्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 14 फरवरी 2016 निरस्त किया जाता है।

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब(एक)1782.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की चयन सूची दिनांक 3 सितम्बर 2015 में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री नेहा यति (मेरिट क्र. 47) की ओर से प्रेषित आवेदन पत्र, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुश्री नेहा यति का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 47 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है। साथ ही सुश्री नेहा यति का नियुक्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 25 फरवरी 2016 निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-1735-2016.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(1)1402-16 दिनांक 3 मई 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 28, 37, 53 और 64 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“28.	श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनि., व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी
37.	श्री अमित रंजन समाधिया, चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
53.	श्री सूरज सिंह राठौर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन
64-	श्री प्रबेन्द्र कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर.”

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-1735-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-

XXI-B(J) 1402-16, dated 03rd May, 2016, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 28, 37, 53 and 64 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"28.	Shri Suresh Kumar Choubey, (Jr.) Civil Judge, Class-1.	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
37.	Shri Amit Ranjan Samadhiya, XXIV th Civil Judge, Class-1.	Indore	Indore	Indore	Indore
53.	Shri Suraj Singh Rathore II nd Civil Judge, Class-1.	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen
64.	Shri Prabendra Kumar Singh, II nd Additional Judge to Ist Civil Judge Class-1.	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक) शुद्धि-पत्र.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2016 की द्वितीय पंक्ती में अंकित "ताम्रकर"के स्थान पर "ताम्रकार" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2016

फा. क्र. 1(बी)11-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा श्री अमित कुमार सिंह रघुवंशी अधिवक्ता को आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के द्वारा एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 4 अक्टूबर 2015 तक के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गुना नियुक्त किया गया था, परन्तु आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरांत आपका कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण आपकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा आपको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

फा. क्र. 1 (बी)-11-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा श्रीमती आशा किरण कौर, अधिवक्ता को आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के द्वारा एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 4 अक्टूबर 2015 तक के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गुना नियुक्त किया गया था, परन्तु आपके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरांत आपका कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण आपकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा आपको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2016

क्र. एफ. 16-18-2015-बी-ग्यारह.—राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम, 2016 के नियम 6 के उपनियम (1) के प्रावधानों अंतर्गत निम्नलिखित निगम/कार्पोरेशन को उनके नाम के सामने दर्शाये गये क्षेत्राधिकार में गठित होने वाले निवेश क्षेत्रों के लिये निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध योजना (स्कीम) तैयार करने तथा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करता है :—

अनु. क्र. (1)	निगम/कार्पोरेशन का नाम (2)	एजेन्सी का क्षेत्राधिकार (3)	क्षेत्राधिकार में स्थित जिलों के नाम (4)
1	म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल.	भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग.	भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा.
2	म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर.	जबलपुर राजस्व संभाग	जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी.
3	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर.	ग्वालियर एवं चंबल राजस्व संभाग.	श्यापुर, मुपैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया.
4	म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम उज्जैन	उज्जैन राजस्व संभाग	देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगर-मालवा.

No. F 16-18-2015-B-XI.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Act, 2013 and sub-rule (1) of Rule 6 of the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Rules, 2016 the State Government hereby authorize following Nigam/Corporation to function as an Agency for Investment region to be constituted in their jurisdiction to prepare Investment Region Development and Management Schemes and to implement the provisions of the Act and rules :—

S. No. (1)	Name of the Nigam/Corporation (2)	Jurisdiction of the Agency (3)	Name of the Districts situated in jurisdiction (4)
1	M.P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam, Bhopal.	Bhopal & Narmadapuram Revenue Division.	Bhopal, Sehore, Raisen, Rajgarh, Vidisha, Betul, Hoshangabad, Harda.
2	M.P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam, Jabalpur.	Jabalpur Revenue Division	Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara, Seoni, Mandla, Balaghat, Dindori.
3	Industrial Infrastructure Development Corporation, Gwalior.	Gwalior & Chambal Revenue Division.	Sheopur, Morena, Bhind, Gwalior, Shivpuri, Guna, Ashok Nagar, Datia.
4	M.P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam Ujjain.	Ujjain Revenue Division	Dewas, Ratlam, Shajapur, Mandsaur, Neemuch, Ujjain, Agar-Malwa.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2016

क्र.-डी-5-56-2004-चौदह-3.—प्रदेश की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक, व्यापारी एवं तुलैया-हम्माल प्रतिनिधि के स्थान उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से रिक्त हो गये हैं :-

क्र.	मण्डी समिति का नाम	जिले का नाम	वार्ड क्रमांक	पद रिक्ति का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लोहादा	देवास	05	प्रहलाद, कृषक सदस्य का दिनांक 5-3-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
2	सैलाना	रतलाम	07	कृषक सदस्य, श्री सलीम पठान, जो कृषक प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 7 का निर्वाचन शून्य घोषित हो जाने से.
3	राधौगढ़	गुना	10	श्री भमरलाल जी भील, कृषक सदस्य का दिनांक 19-10-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
4	बीनागंज	गुना	09	श्रीमती मांगीबाई, मंडी सदस्य का दिनांक 31-01-2016 को स्वर्गवास होने के कारण.
5	पाटन	जबलपुर	-	श्री अनिल कुमार जैन, व्यापारी सदस्य का दिनांक 7-11-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
6	डबरा	ग्वालियर	-	श्री राकेश गुप्ता, व्यापारी सदस्य का दिनांक 19-11-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
-	डबरा	ग्वालियर	10	श्री रघुवीर सिंह, कृषक सदस्य का दिनांक 12-2-2016 को स्वर्गवास होने के कारण.
7	देवास	देवास	05	श्री सौभागसिंह गौड़, कृषक सदस्य का दिनांक 19-11-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
8	सिंगरौली	सिंगरौली	-	श्री बहादुर प्रसाद केशरी, हम्माल-तुलैया का दिनांक 25-12-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
9	सुसनेर	आगर-मालवा	06	श्रीमती तेजबाई, कृषक सदस्य का दिनांक 25-1-2016 को स्वर्गवास होने के कारण.
10	सिमरिया	पन्ना	01	श्री लक्ष्मीकांत चनपुरिया, कृषक सदस्य का संविदा वर्ग 03 में चयन हो जाने कारण.
-	सिमरिया	पन्ना	07	श्री ध्यान सिंह, कृषक सदस्य द्वारा पद के त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
-	सिमरिया	पन्ना	-	श्री विजय कुमार अग्रवाल, व्यापारी सदस्य द्वारा पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
11	करही	खरगोन	01	श्रीमति ज्योतिबाई रावत, कृषक सदस्य द्वारा पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
12	थांदला	झाबुआ	01	श्री रमेशचन्द्र भटेवरा, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	थांदला	झाबुआ	04	श्री नरसिंह भाबर, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
-	थांदला	झाबुआ	-	श्री इरफान इब्राहिम, हम्माल-तुलावटी सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
-	थांदला	झाबुआ	03	श्री ज्योति डामोर, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
-	थांदला	झाबुआ	09	श्री गौरसिंह डामोर, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
-	थांदला	झाबुआ	08	श्रीमती हकरीबाई, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
-	थांदला	झाबुआ	06	श्रीमती शांतिबाई, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने का कारण.
-	थांदला	झाबुआ	07	श्रीमती नवलीबाई, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
13.	पिपलिया	मन्दसौर	07	श्रीमती धापूबाई, कृषक सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण.

अतः उपरोक्त 13 कृषि उपज मंडी समितियों के 23 रिक्त पदों को भरने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 13(5) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 26 के अंतर्गत राज्य शासन निम्नानुसार समय-अनुसूची एतद्वारा विहित करती है :-

क्रमांक	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख/दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना तथा नाम-निर्देशन प्रारंभ होने का दिनांक.	27 एवं 29	30-5-2016 (सोमवार)
2	नामनिर्देशन प्राप्त करने का अंतिम दिनांक	29	6-6-2016 (सोमवार)
3	नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक	33	7-6-2016 (मंगलवार)
4	अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने का दिनांक	34	9-6-2016 (गुरुवार)
5	प्रत्याशियों की अंतिम सूची तथा प्रतीक आवंटन सूची का प्रकाशन एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	35, 36 एवं 37	10-6-2016 (शुक्रवार)
6	आवश्यक होने पर मतदान का दिनांक	45	19-6-2016 (रविवार)
7	मतगणना का दिनांक (3.30 बजे दोपहर पश्चात्)	74	19-6-2016 (रविवार)
8	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	78	20-6-2016 (सोमवार)

राज्य शासन 7.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 490.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम तेलीवट, प. ह. नं. 36 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-364.111 हेक्टेयर.	ग्राम-तराकढाना, प. ह. नं. 36

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 जून 2016

क्र. 803.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम कोहका, प. ह. नं. 14 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-248.477 हेक्टेयर.	ग्राम-बाबाढाना, प. ह. नं. 14

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(प्रारंभिक सूचना)

मन्दसौर, दिनांक 13 मार्च 2015

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम चिकली के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम : चिकली	स. क्र.	विवरण	तहसील सीतामऊ		
			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)	सिंचित	असिंचित
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम चिकली		5.88	0.00	5.88
फतेहपुर चिकली तालाब					
ग्राम चिकली.					

अनुसूची-2

फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हे. में.)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम चिकली						
1	रामकुंवर पति बिहारीसिंह राजपुत	179 पे.	0.42	0.42	-	0.42
2	मनसिंह पिता सरदारसिंह राजपुत	197	0.16	0.16	-	0.16
3	नाहरसिंह पिता उदयसिंह राजपुत	201	0.88	0.81	-	0.81
4	रघुवीरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत	206/1	0.12	0.06	-	0.06
5	मनोहरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत	206/2	0.40	0.20	-	0.20
6	भंवरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत	206/3 मीन-1	0.43	0.20	-	0.20
7	शांतिबाई पति रामनारायण बलाई	288/3	0.32	0.32	-	0.32
8	गट्टु पिता माधु भील	246	0.44	0.39	-	0.39
9	रूधनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपुत	257	0.46	0.46	-	0.46
10	मंदिर श्री राचन्द्रजी प्रबंधक, कलेक्टर मध्यप्रदेश शासन.	274 311	0.24 0.16	0.24 0.16	-	0.24 0.16
11	भगतराम पिता धुरा बलाई	288/1	0.11	0.11	-	0.11
12	बद्रीलाल पिता धुरा बलाई	288/2	0.21	0.21	-	0.21
13	ललीताबाई पिता बाबुलाल भील	289/1	0.07	0.07	-	0.07
14	शम्भुलाल पिता भुवान भील	289/2	0.07	0.07	-	0.07
15	भारतलाल पिता भुवान भील	289/3	0.06	0.06	-	0.06
16	भंवरलाल पिता भेरूलाल भील	290/1	0.09	0.09	-	0.09
17	रामलाल पिता भेरूलाल	290/2	0.09	0.09	-	0.09
18	लालसिंह पिता देवीसिंह राजपुत	324/1	0.12	0.12	-	0.12
19	बिहारीसिंह पिता सरदारसिंह राजपुत	594/327	0.09	0.09	-	0.09
20	सामन्तसिंह पिता देवीसिंह राजपुत	324/2	0.13	0.013	-	0.13
21	मांगुसिंह पिता सज्जन सिंह, ईश्वरसिंह बा. भगवानसिंह सामंतसिंह कमलेश ना. बा. पिता मदनसिंह सरपरस्त, माता प्रेमकुंवर, बैवा मदनसिंह पेपकुंवर बैवाहिन्दुसिंह राजपुत.	351	0.20	0.10	-	0.10
22	बसंतीबाई बैवा नन्दा, मदन भंवरबाई पिता नन्दा.	235/2मीन 2	0.19	0.19	-	0.19
23	प्रतापसिंह पिता गोरधनसिंह राजपुत	337	0.60	0.30	-	0.30
24	रामेश्वर पिता कुशल भील	340	0.15	0.15	-	0.15
25	गोपालकुंवर पति मानसिंह राजपुत	343	0.05	0.05	-	0.05
26	सरूप पिता नन्दा बलाई	344	0.05	0.05	-	0.05
27	प्रभुबाई पिता भेरू भील	382	0.17	0.17	-	0.17
28	भंवरसिंह पिता बगदुसिंह	321 मी.1	0.10	0.10	-	0.10
29	लक्ष्मणसिंह पिता सरदारसिंह	180	0.91	0.30	-	0.30
30	रामसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत	299 पे.	1.24	-	-	पाईप लाईन 400 मीटर.
31	सेवा खातेदार	227	3.54	0.01	-	0.01
कुल योग :			12.27	5.88	-	5.88

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम करणपुरा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमाकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है.

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)
ग्राम करणपुरा, तहसील सीतामऊ

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम करणपुरा	0.21 हे.	0.00 हे.	0.21 हे.

फतेहपुर चिकली तालाब
ग्राम करणपुरा

अनुसूची-2

फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम करणपुरा						
1	कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी, निवासी चिकला.	24 पे.	0.35	0.08	—	0.08
2	कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी, निवासी चिकला.	25/1	0.09	0.01	—	0.01
3	श्यामलाल पिता अमृतलाल कुल्मी	25/2	1.15	0.02	—	0.02
4	मानसिंह पिता मनोहरसिंह	94/1	0.45	0.02	—	0.02
5	दिपकुंवर बैवा मनोहरसिंह	94/2	0.46	0.02	—	0.02
6	ईश्वरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपुत	95	0.45	0.02	—	0.02
7	शिवसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत, नि. करणपुरा.	46 मीन 1	0.91	कच्चा कुआ 1	—	कच्चा कुआ 1
8	कमलसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत, निवासी करणपुरा.	47	0.00	पाईप लाईन 230 मीटर एवं कच्चा कुआ 1	—	पाईप लान 230 मीटर एवं कच्चा कुआ 1
9	बेबीकुंवर पति ईश्वरसिंह	91	0.00	पाईप लाईन 250 मीटर	—	पाईप लाईन 250 मीटर.
10	रतनकुंवर पति मनोहरसिंह	93	0.00	कच्चा कुआ 1	—	कच्चा कुआ 1
11	भेरूलाल पिता देवा कुमावत	115 मीन	0.36	0.04	—	0.04
कुल योग :			4.22	0.21	—	0.21

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 3 जनवरी 2016

क्र. क-नि.शा.-मण्डी-2015-01.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 77-बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 07 डोईफोडिया के उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्री मोतीलाल पिता हीरालाल	कृषक प्रतिनिधि	ग्राम ताजनापुर, पोस्ट डोईफोडिया, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर.

जे. पी. आईरिन सिंथिया, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, सिंहस्थ—2016, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 5 मई 2016

क्र. सिंहस्थ-2016-2016-4036.—मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 (अधिनियम क्र. सन् 1955) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन (म. प्र.) उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 योजना हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ:—

क्षेत्र (1)	सर्वे क्रमांक (2)	रकबा (हेक्टे. में) (3)
ग्राम निनौरा	176/2	0.73

टीप.—उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम शाखा), मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 16 मई 2016

क्र. 02-16.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, प्रीति मैथिल, कलेक्टर, मण्डला, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 (3) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करती हूँ:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला मण्डला (म. प्र.)

धारा 13 (2) खण्ड (क) के अनुसार—

(1) अपर जिला दण्डाधिकारी, मण्डला (म. प्र.),

अध्यक्ष

धारा 13 (2) खण्ड (ख) के अनुसार—

- | | | |
|-----|--|-------|
| (1) | श्री रोचीराम गुरवानी, सुभाष वार्ड, मण्डला | सदस्य |
| (2) | श्री अमरजीत सिंह चौहान, मु.पो. मवई, जि. मण्डला | सदस्य |
| (3) | श्री प्रमोद सिंघई, मु. पो. पिण्डरई, जि. मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार—

- | | | |
|-----|--|-------|
| (1) | श्री प्रफुल मिश्रा, आजाद वार्ड, मण्डला | सदस्य |
| (2) | श्री रमेश चौकसे, मु. पो. निवास, जि. मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (2) खण्ड (घ) के अनुसार—

- | | | |
|-----|--|-------|
| (1) | पुलिस अधीक्षक, मण्डला, जिला मण्डला | सदस्य |
| (2) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मण्डला | सदस्य |
| (3) | सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (2) खण्ड (ङ) के अनुसार—

- | | | |
|-----|-------------------------|-------|
| (1) | लीड बैंक मैनेजर, मण्डला | सदस्य |
|-----|-------------------------|-------|

1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी मण्डला

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|
| (1) | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मण्डला | अध्यक्ष |
|-----|-------------------------------------|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

- | | | |
|-----|--|-------|
| (1) | श्री अशोक गोयल, मण्डला | सदस्य |
| (2) | श्री प्रहलाद सिंह ठाकुर, मु. पो. बरंगवा, जिला मण्डला | सदस्य |
| (3) | श्री कृष्ण कुमार चौकसे, जिला मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

- | | | |
|-----|---|-------|
| (1) | श्रीमती पांचो बाई, मु. पो. बबैहा, जिला मण्डला | सदस्य |
| (2) | श्री विनय मिश्रा, मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

- | | | |
|-----|--|-------|
| (1) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मण्डला | सदस्य |
|-----|--|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

- | | | |
|-----|--|-------|
| (1) | शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मण्डला | सदस्य |
|-----|--|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार—

- | | | |
|-----|------------------|-------|
| (1) | तहसीलदार, मण्डला | सदस्य |
|-----|------------------|-------|

2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी, नैनपुर

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

- | | |
|--|---------|
| (1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नैनपुर, जिला मण्डला | अध्यक्ष |
|--|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

- | | |
|---|-------|
| (1) श्री कासिम भाईजान, मु. पो. नैनपुर, जिला मण्डला | सदस्य |
| (2) श्री संतोष तिवारी, मु. पो. पिण्डरई, जिला मण्डला | सदस्य |
| (3) श्री प्रभात साहू, मु. पो. चिरईडोंगरी, जिला मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

- | | |
|---|-------|
| (1) श्री राजेन्द्र राय, मु. पो. नैनपुर, जिला मण्डला | सदस्य |
|---|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

- | | |
|---|-------|
| (1) श्री रमेश सिरसाम, मु. पो. झूलपुर, जिला मण्डला | सदस्य |
|---|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

- | | |
|--|-------|
| (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नैनपुर | सदस्य |
|--|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार—

- | | |
|---|-------|
| (1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नैनपुर, जिला मण्डला | सदस्य |
|---|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (छ) के अनुसार—

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| (1) तहसीलदार, नैनपुर, जिला नैनपुर | सदस्य |
|-----------------------------------|-------|

3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी, निवास

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

- | | |
|--|---------|
| (1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवास, जिला मण्डला | अध्यक्ष |
|--|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

- | | |
|---|-------|
| (1) श्री यतीन्द्र मोहन विश्वकर्मा, मु. पो. पिपरिया, जिला मण्डला | सदस्य |
| (2) श्री संतोष रजक, मु. पो. पिपरिया, जिला मण्डला | सदस्य |
| (3) श्री वीरेन्द्र नामदेव, मु. पो., बबलिया, जिला मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

- | | |
|--|-------|
| (1) श्री महेन्द्र झारिया, ग्राम हरटीकुर (मोहगांव), जिला मण्डला | सदस्य |
| (2) श्री होसीलाल साहू, मु. पो. मानेगांव, जिला मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

- | | |
|---|-------|
| (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, निवास | सदस्य |
|---|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

- | | |
|--|-------|
| (1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निवास, जिला मण्डला | सदस्य |
|--|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार—

- | | |
|----------------------------------|-------|
| (1) तहसीलदार, निवास, जिला मण्डला | सदस्य |
|----------------------------------|-------|

4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी, बिछिया

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

- | | |
|--|---------|
| (1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया, जिला मण्डला | अध्यक्ष |
|--|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

- | | |
|--|-------|
| (1) श्री अशोक नानतानी, मु. पो. बिछिया, मण्डला | सदस्य |
| (2) श्री जवाहर साहू, मु. पो. सिझौरा, जिला मण्डला | सदस्य |
| (3) श्री सुधीर पटैल, मु. पो., अंजनिया, जिला मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

- | | |
|---|-------|
| (1) श्री उमेश चौरसिया, मु. पो. औरई, जिला मण्डला | सदस्य |
| (2) श्री कीर्तन झारिया, मु. पो. मोतीनाला, जिला मण्डला | सदस्य |

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

- | | |
|--|-------|
| (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिछिया | सदस्य |
|--|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

- | | |
|---|-------|
| (1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिछिया, जिला मण्डला | सदस्य |
|---|-------|

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार—

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| (1) तहसीलदार, बिछिया, जिला मण्डला | सदस्य |
|-----------------------------------|-------|

5. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी, घुघरी

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

- | | |
|---|---------|
| (1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घुघरी, जिला मण्डला | अध्यक्ष |
|---|---------|

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

(1)	श्री रामप्रकाश साहू, मु. पो. घुघरी, जिला मण्डला	सदस्य
(2)	श्री दीपक चौकसे, मु. पो. सलवाह, जिला मण्डला	सदस्य
(3)	श्री राजेन्द्र सोनी, मु. पो., घुघरी, जिला मण्डला	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

(1)	श्री बहादुर सिंह साकडिया, मु. ग्राम कोडार (घुघरी), जिला मण्डला	सदस्य
(2)	श्री देवेन्द्र झा, मु. पो. हरटिकुर, जिला मण्डला	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

(1)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घुघरी	सदस्य
-----	---	-------

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

(1)	शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, घुघरी, जिला मण्डला	सदस्य
-----	--	-------

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार—

(1)	तहसीलदार घुघरी, जिला मण्डला	सदस्य
-----	-----------------------------	-------

प्रीति मैथिल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
(स्थानीय निर्वाचन)

शिवपुरी, दिनांक 18 मई 2016

क्र. मंडी-निर्वा.-अधिसूचना-2014-15-146.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव चंद्र दुबे, कलेक्टर, जिला शिवपुरी मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (त्र) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी, (जिला पंचायत, सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के अंतर्गत शिवपुरी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मंडी अधिनियम की धारा (4)
1	शिवपुरी	डॉ. कालूराम कुशवाह, ग्राम सुल्तानपुर, पोस्ट नरवर, जिला शिवपुरी	धारा 11(1) (त्र)
2	बदरवास	श्री रामवीर सिंह यादव, ग्राम अलावदी, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी	धारा 11(1) (त्र)
3	करैरा	श्री दिनेश परिहार, ग्राम सेवडीकला, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी	धारा 11(1) (त्र)
4	पौहरी	श्रीमती भगवती रावत, ग्राम व पोस्ट भटनावर, तहसील पौहरी	धारा 11(1) (त्र)
5	खनियाधाना	श्री रामसिंह यादव, ग्राम कचनारिया, पोस्ट पिपरा, तहसील खनियाधाना	धारा 11(1) (त्र)
6	कोलारस	श्री अमोल सिंह, ग्राम भडोता, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी	धारा 11(1) (त्र)
7	खतौरा	श्री शिवनंदन सिंह पडरिया, ग्राम श्री पुरचक, तहसील बदरवास	धारा 11(1) (त्र)
8	मगरौनी	श्रीमती पूनम कुशवाह, ग्राम चकरामपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी	धारा 11(1) (त्र)
9	पिछोर	कुमारी भारती लोधी, ग्राम हिम्मतपुर, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी	धारा 11(1) (त्र)
10	रन्नौद	श्री अलीहसन आजाद, ग्राम डगपीपरी, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी	धारा 11(1) (त्र)
11	बैराड	श्रीमती विमला धाकड़, ग्राम रायपुर, पोस्ट ऐचवाडा, तहसील पौहरी	धारा 11(1) (त्र)

राजीव चंद्र दुबे, कलेक्टर.

कार्यालय, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 मई 2016

क्र. एफ-1-1-16-रा.स.-यू.ए.1-593.—अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्र. 34 सन् 2011) की धारा 29 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी, हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

1. प्रो. अशोक कुमार कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ. प्र.)	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामनिर्दिष्ट
2. प्रो. राजबीर सिंह, डायरेक्टर, कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली-110067.	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट.
3. डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, कुलपति, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला-176215 (हिमाचल प्रदेश).	समिति के सदस्य	कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट
4. डॉ. प्रकाश बरतूनिया, भोपाल(म. प्र.).	समिति के सदस्य	राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. अशोक कुमार, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,
अजय तिकी, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

राजस्व विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
---------------------	---------------------------	--------------

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री जगदीश पटेल	राजस्व निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
2	श्री अभय सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक

क्र. 3111-913-अका-विपप्र-2016.—राज्य शासन द्वारा भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी 2016 को प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, सी एवं प्रशासनिक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3	श्री त्रिलोक सिंह पुसाम	राजस्व निरीक्षक	31	श्री अजय कुमार पटवर्धन	पटवारी
	रीवा संभाग		32	श्री राजेश प्रधान	राजस्व निरीक्षक
4	श्री धर्मराज साकेत	राजस्व निरीक्षक	33	श्री जयप्रकाश पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
	निम्नस्तर		34	श्री प्यारेलाल विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
	भोपाल संभाग		35	श्री देवदीप सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
1	श्री शंकर सिंह पटेलिया	राजस्व निरीक्षक	36	श्री दिनेश कुमार खटिक	राजस्व निरीक्षक
2	श्री तनवीर हलीम	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	37	श्री हरिदास अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
3	श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	38	श्री राम सहाय सौर	पटवारी
4	श्री जगदीश पटेल	राजस्व निरीक्षक	39	श्री रतीराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
5	श्री कन्हैया लाल चौहान	राजस्व निरीक्षक		इन्दौर संभाग	
6	श्री प्रतिनीश कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	40	श्री अनिल वैष्णव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री हीरू कुमारे	राजस्व निरीक्षक	41	श्री मेहमुद अली शाह	राजस्व निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग		42	श्री विजय महाजन	राजस्व निरीक्षक
8	श्री दिलीप दरोगा	राजस्व निरीक्षक		जबलपुर संभाग	
9	श्री गणेश राम हरिऔध	राजस्व निरीक्षक	43	श्री संदीप कुमार	राजस्व निरीक्षक
10	श्री ओम प्रकाश आर्य	राजस्व निरीक्षक	44	श्री प्रवीण कुमार मरावी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
11	श्री हरिशचन्द्र माहौर	राजस्व निरीक्षक	45	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
12	श्रीमती सरीता भदौरिया	राजस्व निरीक्षक	46	श्री विश्वास भण्डारी	राजस्व निरीक्षक
13	श्री उत्तम कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक	47	श्री गोरेलाल मरावी	राजस्व निरीक्षक
14	श्री श्यामसुन्दर सिंह सराहिया	राजस्व निरीक्षक	48	श्री हरगोविन्द प्रसाद धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
15	श्री हरनाम सिंह	राजस्व निरीक्षक	49	श्री सुन्दरलाल यादव	राजस्व निरीक्षक
16	श्री बलराम दोहरे	राजस्व निरीक्षक	50	श्री शनिलाल सिरसाम	राजस्व निरीक्षक
17	श्री ओम प्रकाश तिवारी	राजस्व निरीक्षक	51	श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर	राजस्व निरीक्षक
18	श्री राकेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	52	श्री देवेन्द्र कुमार सिंगौर	राजस्व निरीक्षक
	संभाग संभाग		53	श्री दामोदार प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
19	श्री महेन्द्र सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक	54	श्री भारत सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
20	श्री महाराज सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	55	श्री सीपत सिंह मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक
21	श्री राम आनन्दे सिंह	राजस्व निरीक्षक		उज्जैन संभाग	
22	श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	55	श्री नारायण चौहान	राजस्व निरीक्षक
23	श्री धीरज असीन सोना	राजस्व निरीक्षक	56	श्री मनीष यादव	राजस्व निरीक्षक
24	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	57	श्री जगतसिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
25	श्री भोला प्रसाद साकेत	राजस्व निरीक्षक	58	श्री भारत कुमार देवड़ा	राजस्व निरीक्षक
26	श्री लखन सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	59	श्री चैनसिंह भिलाला	राजस्व निरीक्षक
27	श्री शिवराज सिंह सौर	राजस्व निरीक्षक		रीवा संभाग	
28	श्री सुरेश कुमार खटीक	राजस्व निरीक्षक	60	श्री शिवपुरोहित गौतम	राजस्व निरीक्षक
29	श्री महेश प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक	61	श्री संतोष कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
30	श्री अभिषेक जैन	पटवारी	62	श्री कृष्ण कुमार पटेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

क्र. 3120-908-अका-विपप्र-2016.—राज्य शासन द्वारा भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जनवरी 2016 को प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तृतीय (राजस्व के मामलों में आदेश का लिखा जाना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
----------------	---------------------------	--------------

उच्चस्तर
रीवा संभाग

1	श्री रामशिरोमणि तिवारी	राजस्व निरीक्षक
2	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	पटवारी
3	श्री धर्मराज साकेत	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय).

सागर संभाग

4	श्री रामसुजान कोल	राजस्व निरीक्षक
5	श्री जय प्रकाश शुक्ला	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय).
6	श्री अजय कुमार पटवर्धन	पटवारी
7	श्री देवदीप सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय).
8	श्री दिनेश कुमार खटीक	राजस्व निरीक्षक
9	श्री धीरज असीम सोना	राजस्व निरीक्षक
10	श्री रतीराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय).

ग्वालियर संभाग

11	श्री सुरेश कुमार राठौर	राजस्व निरीक्षक
12	श्रीमती जोगेन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक
13	श्री हरनाम सिंह	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

14	श्री नारायण चौहान	राजस्व निरीक्षक
15	श्री योगेन्द्र तिवारी	राजस्व निरीक्षक
16	श्री राकेश कुमार मित्तल	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय).
17	श्री आसिफ हुसैन	पटवारी (सश्रेय)
18	श्री सत्यसागर पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय).

(1)	(2)	(3)
जबलपुर संभाग		
19	श्री प्रवीण दुबे	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय).
20	श्री रमेश कुमार किरार	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय).
21	श्री खेमलाल मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक
22	श्री किशोर कुमार उइके	राजस्व निरीक्षक
23	श्री रूपसिंह किरार	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर
रीवा संभाग

1	श्री शिव पुरोहित गौतम	राजस्व निरीक्षक
2	श्री मुनेन्द्र प्रसाद तिवारी	राजस्व निरीक्षक
3	श्री शेषमणि शर्मा	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

4	श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
5	श्री जमुना प्रसाद रावत	राजस्व निरीक्षक
6	श्री प्यारेलाल विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
7	श्री राजेश प्रधान	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

8	श्री शान्ती लाल राजपूत	राजस्व निरीक्षक
9	श्री सतीश कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
10	श्री जन्देल सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

11	श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया	राजस्व निरीक्षक
12	श्री चैनसिंह भिलाला	राजस्व निरीक्षक
13	श्री सतीश व्यास	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
14	श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
15	श्री कुमेर सिंह भिलाला	राजस्व निरीक्षक
16	श्री मनीष यादव	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

17	श्री संदीप कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
----	-------------------------	-----------------

	(1)	(2)	(3)
18	श्री प्रवीण कुमार मरावी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	
19	श्री शिव प्रसाद उइके	राजस्व निरीक्षक	
20	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक	
21	श्री तीरथ प्रसाद सन्त	राजस्व निरीक्षक	
इन्दौर संभाग			
22	श्री शंकर लाल जोशी	राजस्व निरीक्षक	
4	श्रीमती स्वालेहा खान	पटवारी	
5	कु. रश्मि बौध्द	पटवारी	
6	श्रीमती स्वीटी साहू	पटवारी	
7	श्री पूरनलाल आदया	राजस्व निरीक्षक	
8	श्री पद्म भूषण चौरसिया	राजस्व निरीक्षक	

क्र. 3124-910-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जनवरी 2015 को प्रश्नपत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

ग्वालियर संभाग

9	श्री सतीश कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
10	श्री दर्शन लाल	राजस्व निरीक्षक
11	श्री महेश सिंह कुशवाह	नायब तहसिलीदार

उज्जैन संभाग

12	श्री मनीष यादव	राजस्व निरीक्षक
13	श्री राकेश मित्तल	राजस्व निरीक्षक
14	श्री कुमेर सिंह भिलाला	राजस्व निरीक्षक
15	श्री प्रमोद भाटी	राजस्व निरीक्षक
16	श्री नारायण चौहान	राजस्व निरीक्षक
17	श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

18	श्री संदीप कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
19	श्री रमेश कुमार किरार	राजस्व निरीक्षक
20	श्री दीन बन्धु प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
21	श्री गिरजा शंकर गौतम	राजस्व निरीक्षक
22	श्री भारत सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
23	श्री किशोर कुमार उइके	राजस्व निरीक्षक
24	श्री सुनील कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
25	श्री शंकर लाल मरावी	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

26	श्री राजेश कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
27	श्री मुनेन्द्र प्रसाद तिवारी	राजस्व निरीक्षक
28	श्री परससुख बंशल	राजस्व निरीक्षक
29	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	पटवारी
30	श्री धर्मराज साकेत	राजस्व निरीक्षक
31	श्री मनफेर प्रसाद कोल	राजस्व निरीक्षक

उच्चस्तर**भोपाल संभाग**

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री जगदीश पटेल	राजस्व निरीक्षक
2	श्री हीरू कुमरे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री किशोरी लाल शेलू	राजस्व निरीक्षक
4	श्री प्रतिनीश कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

5	श्री अजय कुमार पटवर्धन	पटवारी
---	------------------------	--------

जबलपुर संभाग

6	श्री प्रवीण दुबे	राजस्व निरीक्षक
---	------------------	-----------------

रीवा संभाग

7	श्री कमल सिंह बागरी	राजस्व निरीक्षक
---	---------------------	-----------------

निम्नस्तर**भोपाल संभाग**

1	श्री शंकर सिंह पटेलिया	राजस्व निरीक्षक
2	श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3	श्री जगदीश पटेल	राजस्व निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-हातोद, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)

हातोद, दिनांक 26 मई 2016

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. 130-भू-अर्जन-2016-01-अ-82-2016-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला-धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर, प.ह.नं. 33	267/1	0.092
			356/1	0.007
			267/3	0.015
			288/2	0.039
			267/2/2	0.044
			356/3	0.022
			267/2/1/मिन-1	0.039
			272	0.046
			844/2	0.079
			273/1	0.046
			288/1	0.004
			274	0.016
			273/2	0.046
			276/1	0.003
			355/2/मिन-1	0.012
			355/2/मिन-2	0.012
			356/2	0.018
357	0.014			
650/1	0.017			
650/2	0.017			
653/2	0.009			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			359/1/1	0.012
			651/1	0.004
			359/1/2/मिन-2	0.012
			653/3/मिन-2	0.015
			359/2/1	0.012
			362	0.017
			363	0.020
			622/1	0.024
			629	0.073
			630/1	0.018
			630/2	0.014
			635/2	0.044
			635/3/मिन-1	0.037
			637	0.033
			636/2	0.011
			649/1	0.011
			650/3	0.017
			676/1	0.032
			676/2	0.037
			676/3	0.007
			705	0.035
			707	0.029
			710/1/2	0.035
			710/2	0.031
			703	0.092
			704/2	0.016
			706/2	0.058
			761/3	0.036
			761/4	0.006
			762/1/1	0.169
			763	0.076
			715	0.053
			716	0.021
			765	0.053
			766/1	0.013
			829	0.037
			830/1/1	0.044
			831	0.037
			830/2	0.043
			837/1	0.064
			837/2	0.050
			837/3/2	0.032
			839/1/1	0.037
			840/2/1	0.004
			840/2/2	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			846/1	0.062
			846/2/मिन-1	0.036
			846/2/मिन-2	0.022
			840/2/3	0.053
			840/2/4	0.058
			843	0.004
			844/1	0.046
			845/1	0.092
			624/2	0.004
			275/1	0.020
			275/2	0.015
कुल योग :				2.534

क्र. 121-भू-अर्जन-2016-02-अ-82-2016-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु, ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक, मध्यप्रदेश, राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला-धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	हिंगोनिया खुर्द, प.ह.नं. 34	7/2	0.033
			218/340	0.081
			220	0.020
			221/1/2	0.022
			221/1/3/1	0.022
			221/1/3/2	0.099
			221/2	0.092
			230/1	0.013
			230/2	0.070
			232	0.077
			300	0.171
			233	0.017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			235/1	0.011
			235/2	0.057
			248/1	0.092
			248/2	0.013
			248/337	0.073
			250	0.075
			252/2	0.079
			253/4	0.110
			252/3	0.029
			256/4/1/2	0.084
			256/4/2ख	0.008
			256/4/1/3/1	0.053
			256/5/5	0.040
			256/4/1/3/2	0.035
			256/5/1	0.044
			256/5/2	0.121
			256/5/6	0.040
			256/5/7	0.048
			301/2/5	0.013

कुल योग : 1.742

क्र. 124-भू-अर्जन-2016-03-अ-82-2016-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु, ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक, मध्यप्रदेश, राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनौद, जिला-धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	पिपलियातफा, प.ह.नं. 34	64/2	0.119
			69/1	0.017
कुल योग :				0.136

क्र. 127-भू-अर्जन-2016-04-अ-82-2016-17.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु, ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला-खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक, मध्यप्रदेश, राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला-धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	मालीबड़ोदिया, प.ह.नं. 33	6	0.034
			7/1	0.033
			7/2	0.026
			33	0.059
			34/2/2	0.066
			35/1	0.059
			35/2	0.062
			59/2	0.120
			60/2	0.068
			68/1	0.132
			69/1/1	0.037
			69/1/2	0.046
			69/2	0.093

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			76	0.006
			77/1	0.134
			77/2	0.106
			131/1	0.145
			131/2	0.022
			131/3	0.132
			134	0.022

कुल योग : 1.402

अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधन

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के तहत

खरगोन, दिनांक 26 मई 2016

क्र. 341-भू-अर्जन-16.—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही तहसील सनावद के ग्राम बिराली की निजी भूमि क्षेत्रफल 10.530 हे. के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के तहत जारी उद्घोषणा का दैनिक अवतिका समाचार पत्र, इन्दौर में पृष्ठ क्रमांक 07 पर एवं दैनिक नवभारत समाचार पत्र, इन्दौर में पृष्ठ क्रमांक 4 पर दिनांक 25 अप्रैल 2016 को जी नम्बर 11912/16 से प्रकाशन हुआ है. प्रकाशित उद्घोषणा में खसरा नम्बर 166/14 त्रुटिवश शामिल नहीं हो पाया है तथा भूमि का क्षेत्रफल अन्य खसरा नम्बर में शामिल हो जाने से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. शेष उद्घोषणा यथावत रहेगी.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		संशोधित सही प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
166/8	0.708	166/14	0.423
		166/8	0.285
		योग :	0.708

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 869-भू-अर्जन-2016.—प्र. क्र. 02/अ-82/2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 (1) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	सर्वे नम्बर	(4)		(6)
रतलाम	रतलाम	रतलाम	1052/01	सचिव, कृषि उपज मण्डी, रतलाम		कृषि उपज मण्डी प्रांगण
			1057			विस्तार हेतु भू-अर्जन
			1058			बाबत.
			1064/1			
			1064/4			
			1064/5			
			1064/11			
			1064/3			
			1072/1			
			1072/2			
			1078/1			
			1063/2			
			1063/1			
			1063/3			
			1063/4			
			1063/5/1			
			1063/5/2			
			1063/6			
			1063/7			
			1063/8			
			1042			
			योग . .	4.710		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 19 मई 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुरैना	जौरा	गुढ़ा आसन	निजी भूमि रकबा 47.54 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जौरा, जिला मुरैना, म. प्र.	आसन बैराज योजना अंतर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 20 मई 2016

प्र. क्र. 15-अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, लोक निर्माण विभाग के द्वारा ग्राम गनियारी में बने हुए जलमगनीय पुल निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. इस हेतु प्रकरण में कुछ अंश रकबे का अर्जन किया जाना है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	गनियारी, प.ह.नं. 36, न. बं.	0.07	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, जबलपुर.	पुल निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 23 मई 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2015-16-2197.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात शा 2ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	दियापीपर	17.378	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2, शहडोल, म. प्र.	दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2, शहडोल/तहसील, गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-2015-16-2198.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात शा 2ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	बरमनिया	11.916	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.	दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल/तहसील गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-2015-16-2199.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात शा 2ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	सिलपरी	11.811	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.	दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2, शहडोल/तहसील, गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 15-अ-82-2015-16-2200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात शा 2ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	कर्ी	2.092	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.	दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2, शहडोल/तहसील, गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 16-अ-82-2015-16-2201.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात शा 2ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	हरहाटोला	1.598	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.	दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2, शहडोल/तहसील, गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 17-अ-82-2015-16-2202.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात शा 2ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	अमहाटोला	14.973	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.	अमहाटोला जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2, शहडोल/तहसील, सोहागपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 067-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	महेबा	निजी भूमि रकबा 0.970 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.970 है.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना.	बेहरासर मार्ग (महेबा से बेहरासर) निर्माण योजना अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 11 मई 2016

प्र. क्र. 087-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
पन्ना	देवेन्द्रनगर	बड़ौरा	निजी भूमि रकबा 20.352 है एवं शासकीय भूमि रकबा 0.940 है.	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेल लाइन निर्माण कार्य हेतु.
<u>कुल रकबा 21.292 है.</u>					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 088-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
पन्ना	देवेन्द्रनगर	जमीन प्रताप सिंह	निजी भूमि रकबा 6.962 है एवं शासकीय भूमि रकबा 0.167 है.	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेल लाइन निर्माण कार्य हेतु.
<u>कुल रकबा 7.129 है.</u>					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 7 मई 2016

क्र.-क-भू-अ.-15-15-16-1611.—रा. प्र. क्र. 01 अ-82 वर्ष
2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया
है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित
किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—तेदूखेड़ा
(ग) ग्राम—तेदूखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.15 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (रकबा है. में.)	ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)
561/1	0.15	ग्राम तेदूखेड़ा (नरगुवां जलाशय) की नहर हेतु.

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा—0.15 हेक्टेयर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
तेदूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री, जल
संसाधन विभाग-दमोह (म. प्र.) के कार्यालय में
देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 मई 2016

पत्र क्र. 1441-प्रशा.भू-अर्जन-गोविन्दगढ़.—चूंकि, राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित
भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित
किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के
अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) नगर/ग्राम—करौदी प.ह.नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

939 0.100

ब. म. प्र. शासन की भूमि

निरंक	निरंक
अ + ब योग . .	0.100

- (2) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन
एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-
रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में
किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 11 मई 2016

आंशिक संशोधन

क्र. भू-अर्जन-2016.—इस कार्यालय से श्यामरी मध्यम परियोजना
के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि खसरा क्रमांक 264 (शासकीय)
में आबादी होने के कारण धारा 19 में प्रकाशित कराया गया था, किन्तु
आबादी भूमि का खसरा क्रमांक 264 (शासकीय) न होकर, खसरा
क्रमांक 263/1 (शासकीय) में आबादी (खसरा मुताबिक स्थिति होना
पाई गई. अतः ग्राम धरमपुरा स्थिति भूमि खसरा क्रमांक 264 (शा.)
के स्थान पर 263/1 (शासकीय) पढ़े जाने हेतु आंशिक संशोधन किया
जाता है.

मसूद अख्तर, कलेक्टर जिला-छतरपुर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्र. 04-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कालम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—पाटन
(ग) ग्राम—पाटन (प.ह.नं. 24/45)
(घ) रा.नि. मण्डल—पाटन
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—0.450 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
376	0.05
377/1	0.01
377/2	0.02
379/1,3	0.07, 0.10
379/2	0.19
389	0.01
कुल योग . .	0.450

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके भूमि की लिए आवश्यकता है—जबलपुर-पाटन-शहपुरा मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत टोलप्लाजा के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.

- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कालम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—पाटन
(ग) ग्राम—चपोद (प.ह.नं. 23/55)
(घ) रा.नि. मण्डल—पाटन
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.03 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
136/3	0.03
कुल योग . .	0.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके भूमि की लिए आवश्यकता है—जबलपुर-पाटन-शहपुरा मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत टोलप्लाजा के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर में किया जा सकता है.

जबलपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्र. 11-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कालम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—शहपुर
(ग) ग्राम—सहजपुर (प.ह.नं. 49/57)
(घ) रा.नि. मण्डल—शहपुरा
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—1.00 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
175/1	0.18
175/3	0.02
176/1	0.08
176/2	0.04
189	0.24
211/2	0.44
कुल योग . .	1.00

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—धनेटा-राखी-सहजपुर मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत सहजपुर बायपास के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अतः किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं किया जा रहा है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in. एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.

- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 23 मई 2016

प्र. क्र. 2187-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 1-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—गंधिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—17.143 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
516/1	0.332	0.022
653/1	0.364	0.324
658/1	0.996	0.496
518	0.291	0.020
519	0.599	0.099
520/2	0.405	0.255
520/3	0.405	0.255
641	1.250	0.150
644	0.421	0.050

(1)	(2)	(3)
640/2	1.254	0.004
639	1.254	0.216
637	1.000	0.003
636	0.421	0.065
633/1	2.215	0.070
633/2	2.216	0.007
595	0.741	0.006
597/2	0.809	0.050
597/3	0.809	0.050
600	1.141	0.040
599	0.397	0.056
598	0.336	0.060
621	2.016	0.138
614/2	0.466	0.030
157/3	0.394	0.040
613	1.258	0.128
112/1	1.218	0.018
611/1	1.185	0.015
611/2	1.218	0.015
139	1.489	0.030
611/3	1.327	0.015
157/1	1.359	0.060
113	1.983	0.083
157/2	0.564	0.040
155	2.229	0.009
124	2.661	0.060
137	1.509	0.040
198	2.590	0.080
136	0.372	0.090
163	1.364	0.164
138/1	0.312	0.005
149/4	4.465	0.025
149/6	1.523	0.160
129/3/क	0.843	0.033
129/1	2.532	0.050
162	2.724	0.080
164	3.334	0.160
199	1.716	0.030
201	2.428	0.150
645/1	0.230	0.230
646	5.795	3.158
647/3	0.470	0.230
647/4	0.381	0.230
647/5	0.598	0.230
654	0.057	0.057

(1)	(2)	(3)
653/2	0.397	0.397
597/1	0.280	0.043
655	1.113	0.800
656	2.152	2.152
657	1.120	1.120
658/1/ख	0.991	0.560
658/2	1.983	1.380
517	0.704	0.400
666/2	0.809	0.240
666/4	2.023	1.200
666/5	0.405	0.300
666/3	1.372	0.372
कुल रकबा निजी भूमि	83.615	17.143

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि कानक्शा (प्लान) कानिरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2188-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—दादर

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—65.620 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
2/2	0.970	0.970
19/2	0.405	0.405
2/3	2.023	2.023
2/4	1.011	1.011
2/5	0.809	0.809
2/6	0.444	0.444

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2/7	0.621	0.621	105	1.991	0.186
2/8	2.023	2.023	30/1	1.307	1.307
3	0.251	0.251	30/2	0.254	0.254
4	0.563	0.563	31	0.166	0.166
7	1.019	1.019	32	0.680	0.680
46	0.344	0.344	102	2.169	0.170
5/1	1.109	1.109	33	0.845	0.845
5/2	1.109	1.109	34	0.166	0.166
5/3	0.368	0.368	35	1.485	1.485
5/4	0.368	0.368	36	1.226	1.226
5/5	0.368	0.368	37	4.440	3.640
5/6	0.012	0.012	38	0.717	0.717
6	0.983	0.983	39	0.433	0.433
8	0.684	0.684	40	0.352	0.352
9/1/क	0.319	0.319	41	0.279	0.279
9/1/ख	0.319	0.319	42/1	1.760	0.860
9/1/ग	0.319	0.319	42/2	0.121	0.121
9/1/घ	0.318	0.318	42/3	0.336	0.336
9/2	0.454	0.114	42/4	0.085	0.085
13/1/क	1.075	0.945	42/5	0.287	0.287
50	0.959	0.860	42/6	0.061	0.061
16	0.466	0.076	42/7	1.085	0.700
19/1	0.562	0.562	43	0.182	0.182
20	1.445	1.445	44/3	0.809	0.690
21	2.610	2.610	44/1	1.335	1.050
22/1	0.168	0.168	44/2	0.526	0.526
22/2	0.168	0.168	45/1	0.238	0.238
22/3	0.167	0.167	45/2	0.234	0.234
22/4	0.168	0.168	45/3	0.238	0.238
22/5	0.168	0.168	47/1/क	2.891	1.800
22/6	0.168	0.168	47/1/ख	0.486	0.306
22/7	0.168	0.168	47/2	0.266	0.266
22/8	0.168	0.168	47/3	0.153	0.153
24/1	0.137	0.137	47/4	0.202	0.202
24/2	0.138	0.138	48/1	0.680	0.002
25	3.080	3.080	48/2	0.680	0.003
26/1	0.729	0.729	48/3	0.679	0.005
26/2	0.728	0.728	49	0.474	0.420
27/1	1.145	1.145	51/1	0.227	0.227
27/2/क	0.413	0.413	59/1	1.093	0.003
27/2/घ	0.161	0.161	51/2	1.007	0.600
27/2/ख	0.410	0.410	51/3	1.234	0.700
27/2/ग	0.161	0.161	52	2.290	1.590
28	0.194	0.194	53	1.501	0.800
29	0.364	0.364	56	1.744	0.644

(1)	(2)	(3)
54	1.360	0.160
57/1	1.295	0.450
57/2	0.445	0.200
61/1	0.644	0.344
61/2	0.643	0.300
100/1	0.387	0.080
100/2	0.387	0.080
101	0.894	0.120
118	0.409	0.200
185	3.076	2.100
186	1.068	0.800
187	1.113	0.720
195/8	0.743	0.250
190/6	0.337	0.337
190/11	0.166	0.166
189/3	0.256	0.130
189/6	0.490	0.280
190/1	0.077	0.077
195/7	0.128	0.050
190/5	0.040	0.040
190/9	0.225	0.225
195/3	0.125	0.050
190/4	0.040	0.040
190/10	0.169	0.169
195/4	0.164	0.050
195/6	0.064	0.030
190/7	0.229	0.229
190/2	0.040	0.040
193/1	0.056	0.056
195/1	0.073	0.030
190/3	0.041	0.041
193/2	0.061	0.061
195/2	0.073	0.030
190/8	0.036	0.036
195/5	0.112	0.040
कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>88.213</u>	<u>65.620</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमिका नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2189-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3)

में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—जगड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.397 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
129	0.405	0.145
130	0.450	0.150
131/1	0.235	0.115
131/2	0.235	0.115
132	0.858	0.750
134	0.591	0.591
139	0.316	0.066
136/1	0.113	0.113
136/2	0.108	0.108
138/3	0.020	0.020
136/3	0.210	0.221
138/1	0.045	0.045
148/3	0.253	0.007
137	0.045	0.045
138/2	0.020	0.020
140	0.162	0.004
143	0.332	0.036
141	0.077	0.077
142	0.061	0.011
144/2	0.454	0.250
144/3	0.607	0.350
149/2/ख	0.113	0.013
157	0.125	0.125
कुल रकबा निजी भूमि . . .	<u>5.535</u>	<u>3.397</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमिका नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2190-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—भटिगवाँखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.325 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा (3)
(1)	(2)	(3)
200/4	2.780	0.033
200/6	1.112	0.030
201	0.458	0.025
184	1.594	0.030
202	0.202	0.014
101/7	1.416	0.070
181/4	0.200	0.030
179/1	0.481	0.040
130/1	0.097	0.030
130/2	0.113	0.040
135	0.684	0.030
71	0.809	0.050
137/1	0.413	0.020
137/2	0.412	0.020
138/1	0.048	0.016
142	0.275	0.025
143	0.134	0.014
144/1	0.057	0.011
144/2	0.056	0.011
144/3	0.057	0.011
146/1	0.035	0.010
146/3	0.036	0.010
147	0.583	0.020
57	1.238	0.050
148/1	0.392	0.020
148/2	0.121	0.010

(1)	(2)	(3)
150	1.449	0.050
151/1	0.304	0.025
151/2	0.355	0.025
101/2	0.798	0.050
101/3	0.718	0.050
37/2	0.344	0.050
64/1	0.304	0.055
64/2	0.732	0.055
54/1	0.385	0.030
53	0.304	0.040
50/1	0.113	0.010
50/2	0.162	0.010
46	0.940	0.050
239/1	0.425	0.050
239/2	0.405	0.050
239/3	0.405	0.050
243/1	0.303	0.005
कुल रकबा निजी भूमि	22.249	1.325

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2191-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—भटिगवाँकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.676 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा (3)
(1)	(2)	(3)
169	1.250	0.045
155/1	1.260	0.018
172	0.874	0.020

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
168	0.713	0.030	481/2/क	0.540	0.015
167/2	0.405	0.038	680	0.474	0.024
148/1	1.546	0.070	656/3	0.202	0.032
148/2	2.027	0.080	556/3	0.283	0.043
119/3	0.317	0.025	557	0.340	0.020
119/4	0.260	0.025	679/2	0.162	0.020
119/5	0.260	0.025	661/2	0.405	0.020
109/1	1.338	0.150	661/3	0.405	0.020
109/2	1.337	0.150	660/1	0.081	0.010
कुल रकबा निजी भूमि . . .	14.419	0.676	660/2	0.041	0.010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.			628/1	0.506	0.010
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.			654/1	0.276	0.015
			654/2	0.101	0.010
			654/3	0.137	0.012
			630	0.243	0.020
			651/2	0.117	0.012
			कुल रकबा निजी भूमि . . .	6.589	0.604

प्र. क्र. 2192-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—दुआरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.604 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
531/781	0.364	0.030
531/780/4	0.186	0.050
530/1	0.251	0.035
529/1	0.097	0.010
528/2	0.057	0.012
529/2	0.097	0.008
538/783/2	0.178	0.028
525/1	0.093	0.048
704/1	0.269	0.025
547/2	0.304	0.025
546/1	0.380	0.040

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2193-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—गजनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—18.443 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा
(1)	(2)	(3)
86/1	0.202	0.202
86/4	0.162	0.162
86/9	0.352	0.352
86/14	0.061	0.061

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
86/17	0.130	0.050	101/10	0.061	0.061
86/19	0.158	0.059	95/1	0.335	0.135
86/23	0.126	0.006	101/1	0.319	0.319
86/25	0.206	0.006	101/4	0.138	0.138
86/29	0.032	0.002	101/12	0.061	0.061
86/2	0.271	0.271	95/3	0.418	0.160
86/5	0.101	0.101	101/3	0.278	0.278
86/11	0.336	0.336	101/9	0.061	0.061
86/13	0.320	0.180	88	0.709	0.709
86/20	0.134	0.004	96	1.785	1.280
86/28	0.032	0.002	89/1	0.974	0.974
86/30	0.186	0.006	106/1	0.809	0.36
86/3	0.615	0.615	89/2	0.487	0.487
86/6	0.040	0.040	90/2	1.060	1.060
86/8	0.049	0.049	92	0.761	0.761
86/12	0.170	0.070	93	1.129	1.129
86/15	0.073	0.033	94/1	0.085	0.005
86/18	0.085	0.081	94/2	0.170	0.010
86/21	0.166	0.006	94/3	0.336	0.050
86/24	0.065	0.005	94/4	0.336	0.336
86/26	0.071	0.001	94/5	0.028	0.028
86/7	0.615	0.584	94/6	0.028	0.028
86/10	0.425	0.300	94/7	0.028	0.028
86/16	0.115	0.005	98	0.117	0.117
86/22	0.190	0.005	99	0.393	0.393
86/27	0.073	0.003	102	0.854	0.854
86/31	0.093	0.003	103	0.219	0.219
87/1	0.072	0.072	104	0.498	0.498
87/6	0.063	0.063	105	0.425	0.280
95/6	0.229	0.093	118	1.910	0.110
101/6	0.170	0.170	313/1	0.741	0.200
101/8	0.138	0.138	313/2	1.164	0.400
101/11	0.061	0.061	313/3	1.680	0.400
87/2	0.036	0.036	316/1	0.497	0.340
87/3	0.035	0.035	316/2	0.496	0.330
95/5	0.377	0.147	316/3	0.496	0.330
101/2	0.315	0.315			
101/13	0.061	0.061			
87/4	0.053	0.053	कुल रकबा निजी भूमि	28.050	18.443
87/5	0.101	0.101			
87/7	0.061	0.061	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गांधिया		
95/2	0.093	0.043	जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.		
95/4	0.301	0.121	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी		
101/5	0.178	0.178	(राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा		
101/7	0.166	0.166	सकता है.		

प्र. क्र. -दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 8-अ-82-2015-16-2194.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—टेटका

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—34.569 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	604/4/क	0.313	0.313
595/1	0.053	0.053	604/4/ख	0.099	0.099
595/3	0.053	0.008	604/4/ग	0.102	0.102
596/2	1.115	0.245	616/2/क	0.405	0.405
639/2	0.455	0.455	616/2/ख	0.405	0.405
598/1	0.105	0.105	618/1/ख	0.800	0.800
527	0.057	0.010	618/2	0.413	0.413
600	0.890	0.890	619/2	1.000	1.000
620/2	1.000	1.000	621/1	0.105	0.105
633	0.142	0.142	622/3	0.136	0.136
782/3	0.809	0.779	621/2/क	0.154	0.154
638	0.866	0.866	621/2/ख	0.154	0.154
601	0.494	0.494	622/1	0.240	0.240
320/1	0.522	0.522	622/2	0.239	0.239
630	0.073	0.073	624	0.991	0.991
631	0.028	0.028	598/2	0.218	0.218
632	0.089	0.089	625	0.089	0.089
643	0.251	0.101	626	0.036	0.036
780	0.737	0.737	627	0.129	0.129
602	0.543	0.543	535/3	0.261	0.042
743/1/क/2	1.406	0.200	628	0.057	0.057
603/1	0.210	0.210	635	0.255	0.255
603/2	0.211	0.211	636	0.223	0.223
604/1	1.622	0.848	637	0.235	0.235
604/2	1.214	0.848	642	0.450	0.147
604/3	0.405	0.405	640	0.494	0.464
629	0.106	0.106	641	0.231	0.030
634	0.101	0.101	782/2/ख	0.405	0.390
781/2	0.607	0.607	784/2	0.602	0.441
784/4	0.405	0.405	763/2	0.405	0.259
797/2	0.809	0.601	765/1/ग	0.707	0.514
783	0.158	0.158	765/3	0.430	0.303
			769/2/ख	0.405	0.405
			765/4/2	0.651	0.651
			765/4/क	0.405	0.303
			769/2/क	0.405	0.405
			769/2/ग	0.405	0.405
			770	0.567	0.567
			771	0.656	0.030
			772/1	0.809	0.405
			772/2	0.765	0.343
			773/1	0.405	0.405
			773/2	0.700	0.700
			744/2क	0.688	0.120
			773/3	0.607	0.607
			774	0.773	0.773
			775/2/क	0.135	0.135
			775/2/ख	0.135	0.135
			775/2/ग	0.135	0.135

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
776	0.943	0.943	419/1	0.222	0.055
777/2	0.405	0.405	419/2	0.222	0.054
778	1.141	1.141	421	0.065	0.065
779	0.991	0.991	422/2	0.809	0.809
782/1/ख	0.405	0.390	494	0.279	0.161
782/2	0.607	0.574	507	0.320	0.024
782/2/क	0.320	0.310	423	2.792	2.792
784/1	0.601	0.440	457	1.157	0.389
782/2/ग	0.080	0.080	424/2	0.839	0.839
784/3	0.601	0.441	442/3	1.011	0.235
782/4	0.202	0.202	426	0.243	0.142
744/1/ग	0.809	0.063	428/1	0.328	0.157
744/4	1.214	0.084	430	0.983	0.834
744/5	2.023	0.147	437	0.178	0.852
765/1/क	0.103	0.028	496	0.077	0.077
528/1/ख	0.202	0.045	497	0.332	0.332
513	0.198	0.066	434	1.550	1.352
528/1/ख	0.202	0.045	436/2	0.809	0.809
542/1	0.104	0.042	436/3	0.405	0.405
543	1.962	0.126	438/2	3.439	0.405
416/1	1.867	0.084	491/2	0.485	0.202
433/1	0.279	0.110	436/4	0.809	0.809
433/2	0.126	0.050	436/5	0.202	0.202
436	0.227	0.010	436/6	0.809	0.809
कुल रकबा निजी भूमि	50.630	34.569	438/3	3.439	0.405
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.			442/4	0.202	0.202
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.			442/2	1.011	0.236
प्र. क्र. -दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 9-अ-82-2015-16-2195.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—			442/5	0.202	0.202
			442/6	0.405	0.405
			442/7	0.405	0.405
			488/574	0.405	0.405
			491/1/ख	0.405	0.202
			493	0.525	0.525
			498	0.279	0.161
			502	0.138	0.138
			503	0.129	0.041
			504/2	0.297	0.218
			कुल रकबा निजी भूमि	26.577	16.404
(1) भूमि का वर्णन—			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.		
(क) जिला—शहडोल			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.		
(ख) तहसील—जयसिंहनगर			प्र. क्र. -दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 10-अ-82-2015-16-2196.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है		
(ग) ग्राम—बसनगरी					
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—16.404 हेक्टेयर.					
खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा			
(1)	(2)	(3)			
417/1	0.370	0.049			

कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—कनाड़ीखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.492 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा (3)
(1)	(2)	(3)
1/6/ख	0.381	0.021
1/20	0.202	0.063
1/37	0.101	0.028
24	0.413	0.016
26	0.174	0.038
27/1/2	0.214	0.024
37	0.372	0.016
38/2	0.121	0.016
33/2/क	0.139	0.040
33/2/ग	0.139	0.016
33/4	0.202	0.048
32/3/ख	0.162	0.011
1/9/क	0.310	0.081
34/1/ग/1/ख	0.276	0.021
35/3	0.263	0.021
35/2	0.324	0.081
243	0.275	0.040
249/4	0.044	0.007
244	0.458	0.040
255/3/ड	0.202	0.035
256/2	0.405	0.041
265/1/ख	0.365	0.052
265/2/	0.365	0.037
400/1/ख	0.138	0.084
400/3/2	0.304	0.011
400/3/1	0.607	0.028
401/1	0.141	0.033
401/2	0.142	0.017
401/3	0.141	0.017
402/3	0.405	0.021
427/18	0.162	0.042
427/7	2.023	0.074
428/529/2	0.921	0.072
428/2	2.225	0.084
429/2	1.214	0.042
428/530/1	0.745	0.040
262	0.279	0.035

(1)	(2)	(3)
429/4/ख	0.404	0.034
429/5/ख	0.405	0.011
429/5/क	0.404	0.014
429/3/च	0.202	0.040
कुल रकबा निजी भूमि	17.150	1.492

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. -दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 11-अ-82-2015-16-2204.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—जमुनारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.308 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जनीय रकबा (3)
(1)	(2)	(3)
61/2	0.809	0.020
61/5	0.202	0.012
61/10	0.202	0.012
61/12	0.202	0.010
61/9	0.405	0.036
61/9/ख	0.404	0.036
61/9/ग	0.405	0.032
183/2	0.356	0.020
183/13	1.214	0.010
214	4.181	0.120
कुल रकबा निजी भूमि	8.380	0.308

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम, 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 01/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हरदी, पटवारी हल्का क्रमांक हरदी-62, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	776	0.010
—	—	—	761	0.113
—	—	—	762	0.091
—	—	—	760	0.094
—	—	—	759/1, 759/2	0.286
—	—	—	757/1, 757/2	0.202
—	—	—	756/1/1, 756/1/2, 756/1/3, 756/2	0.047
—	—	—	740	0.074
—	—	—	746/1, 746/2, 746/3, 746/4	0.180
—	—	—	748/1, 748/2	0.088
—	—	—	749/1, 749/2	0.070

शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	750/1, 750/2	0.183
"	"	"	695	0.016
"	"	"	694	0.010
"	"	"	873/1, 873/2	0.185
"	"	"	871/1, 871/2, 871/3	0.262
"	"	"	880/1, 880/2, 880/3	0.232
"	"	"	881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, 881/7	0.395
"	"	"	894	0.031
"	"	"	81/1, 81/2, 81/3/1, 81/3/2, 81/3/3, 81/4	0.090
"	"	"	434	0.407
"	"	"	435	0.032
"	"	"	479	0.053
"	"	"	480	0.010
"	"	"	481	0.111
"	"	"	478	0.010
"	"	"	477	0.010
"	"	"	482	0.022
"	"	"	486	0.019
"	"	"	485	0.058
"	"	"	483	0.010
"	"	"	484	0.010
"	"	"	489	0.004
"	"	"	490	0.036
"	"	"	456	0.010
"	"	"	491	0.098
"	"	"	492	0.053
"	"	"	493	0.024
"	"	"	494/1, 494/2	0.010
"	"	"	498	0.030
"	"	"	499/1, 499/2	0.009
"	"	"	500/1, 500/2, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6	0.084
"	"	"	503	0.132
"	"	"	502	0.021
"	"	"	511	0.020
"	"	"	553/1, 553/2, 553/3, 553/4	0.102
"	"	"	549	0.085
"	"	"	550	0.103
"	"	"	551/1, 551/2	0.027
"	"	"	545/1, 545/2	0.133

शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	712/1/1, 712/1/2, 712/1/3, 712/2/1, 712/2/2	0.085
--	--	--	544	0.088
--	--	--	542	0.010
--	--	--	541/1, 541/2, 541/3	0.154
--	--	--	538/1, 538/2, 538/3	0.148
--	--	--	537	0.004
--	--	--	536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6	0.186
--	--	--	533	0.039
--	--	--	532	0.083
--	--	--	528	0.004
--	--	--	531	0.021
--	--	--	738/1, 738/2	0.031
--	--	--	739	0.147
--	--	--	737/1, 737/2	0.119
--	--	--	758/1, 758/2, 758/3, 758/4, 758/5, 758/6	0.167
--	--	--	183	0.097
--	--	--	180	0.061
--	--	--	181/974	0.023
--	--	--	179	0.043
--	--	--	360	0.030
--	--	--	359	0.062
--	--	--	361	0.010
--	--	--	357/1, 357/2, 357/3	0.102
--	--	--	356/1, 356/2	0.077
--	--	--	358/1/1, 358/1/2, 358/1/3, 358/2, 358/3	0.022
--	--	--	355	0.010
--	--	--	354/1/1, 354/1/2, 354/1/3, 354/2, 354/3	0.124
--	--	--	368/1, 368/2	0.013
--	--	--	353/1/1, 353/1/2, 353/1/3, 353/2, 353/3	0.047
--	--	--	371/1/1, 371/1/2, 371/1/3, 371/2, 371/3	0.258
--	--	--	374/1/1, 374/1/2, 374/1/3, 374/2, 374/3	0.125
--	--	--	372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7	0.043
--	--	--	373/1, 373/2, 373/3	0.013

शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	570	0.086
			569	0.010
--	--	--	574/1, 574/2, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7	0.260
--	--	--	575/1, 575/2	0.117
--	--	--	647	0.134
--	--	--	646	0.010
--	--	--	644	0.226
--	--	--	645	0.010
--	--	--	640/1, 640/2, 640/3, 640/4	0.232
--	--	--	639	0.004
--	--	--	664	0.029
--	--	--	666	0.120
--	--	--	665	0.064
--	--	--	675	0.185
--	--	--	674/1/1, 674/1/2, 674/1/3, 674/2	0.112
--	--	--	676	0.010
--	--	--	684	0.006
--	--	--	673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 673/5	0.051
--	--	--	686	0.225
--	--	--	685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 685/5, 685/6	0.075
--	--	--	690/1, 690/2, 690/3	0.117
--	--	--	689/1, 689/2, 689/3	0.155
--	--	--	687/1, 687/2, 687/3	0.028
--	--	--	886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 886/5, 886/6, 886/7	0.096
--	--	--	885/1/1, 885/1/2, 885/1/3, 885/2/1, 885/2/2	0.082
--	--	--	879/1, 879/2, 879/3, 879/4	0.260
--	--	--	870/1, 870/2/1, 870/2/2	0.122
--	--	--	289	0.040
--	--	--	284/1, 284/2	0.038
--	--	--	285	0.010
--	--	--	287	0.156
--	--	--	286	0.032
--	--	--	276/1, 276/2	0.045
--	--	--	277/1, 277/2	0.295
--	--	--	280	0.010
--	--	--	278/1, 278/2	0.194
--	--	--	924/1, 924/2	0.013
--	--	--	928	0.019

शहडोल	सोहागपुर	हरदी / 62-हरदी	925/1, 925/2	0.301
			923/1/1, 923/1/2, 923/2/1, 923/2/2, 923/2/3	0.084
--	--	--	934	0.095
--	--	--	945/1, 945/2, 945/3	0.060
--	--	--	944/1, 944/2	0.025
--	--	--	946/1, 946/2	0.066
--	--	--	947/1, 947/2	0.101
--	--	--	948	0.105
--	--	--	949/1, 949/2, 949/3	0.044
--	--	--	950/1, 950/2, 950/3	0.144
--	--	--	951/1, 951/2, 951/3, 951/4	0.173
--	--	--	956/1, 956/2, 956/3	0.010
--	--	--	912	0.016
--	--	--	911	0.242
--	--	--	964	0.022

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 02/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम रायपुर, पटवारी हल्का क्रमांक हरी-68, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	रायपुर / 68	142	0.029
--	--	--	135	0.067

---	---	---	134	0.030
---	---	---	133	0.010
---	---	---	129	0.172
---	---	---	128	0.010
---	---	---	125	0.004
---	---	---	136 / 1, 136 / 2	0.040
---	---	---	127	0.010
---	---	---	112	0.004
---	---	---	113	0.113
शहडोल	सोहागपुर	रायपुर / 68	114	0.153
---	---	---	114 / 1 / 362	0.042
---	---	---	117 / 1, 117 / 2	0.018
---	---	---	119	0.102
---	---	---	120	0.062
---	---	---	121	0.049
---	---	---	1	0.024
---	---	---	211	0.070
---	---	---	228	0.167
---	---	---	227 / 1, 227 / 2	0.131
---	---	---	240	0.104
---	---	---	241	0.014
---	---	---	239 / 1, 239 / 2	0.118
---	---	---	150	0.247
---	---	---	151 / 1, 151 / 2	0.036
---	---	---	148	0.029
---	---	---	149	0.147
---	---	---	147 / 1, 147 / 2	0.094
---	---	---	139	0.111
---	---	---	140	0.214
---	---	---	143	0.113
---	---	---	137	0.010
---	---	---	70 / 1, 70 / 2, 70 / 3, 70 / 4	0.085

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 03/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बरहाई, पटवारी हल्का क्रमांक 59-खेतौली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	बरहाई / 59	174	0.036
—	—	—	268	0.152
—	—	—	178	0.010
—	—	—	179	0.138
—	—	—	180	0.337
—	—	—	101	0.027
—	—	—	181	0.066
—	—	—	185 / 1, 185 / 2	0.095
—	—	—	241	0.086
—	—	—	240	0.059
—	—	—	239 / 1, 239 / 2, 239 / 3, 239 / 4	0.332

शहडोल	सोहागपुर	बरहाई / 59		
—	—	—	246	0.010
—	—	—	235 / 1, 235 / 2	0.067
—	—	—	236	0.036
—	—	—	232 / 1, 232 / 2	0.087
—	—	—	231	0.155
—	—	—	229	0.025
—	—	—	228 / 1, 228 / 2	0.027
—	—	—	224 / 1, 224 / 2	0.240
—	—	—	223	0.170
—	—	—	222	0.049
—	—	—	221	0.032
—	—	—	302	0.119
—	—	—	303	0.046
—	—	—	305	0.063
—	—	—	216 / 1 / क, 216 / 1 / ख, 216 / 1 / ग, 216 / 2	0.102
—	—	—	306	0.080
—	—	—	307	0.057
—	—	—	314	0.020
—	—	—	309 / 1, 309 / 2, 309 / 3, 309 / 4, 309 / 5	0.020
—	—	—	310	0.136
—	—	—	311	0.056
—	—	—	312	0.033
—	—	—	49 / 1, 49 / 2	0.046
—	—	—	48	0.044
—	—	—	34	0.150
—	—	—	33	0.004
—	—	—	32	0.191
—	—	—	31	0.004
—	—	—	26	0.111
—	—	—	25	0.164
—	—	—	23	0.150
—	—	—	22	0.126
—	—	—	19	0.004
—	—	—	21	0.065
—	—	—	20	0.037

शहडोल	सोहागपुर	बरहाई / 59	210	0.118
--	--	--	198	0.097
--	--	--	199	0.004
--	--	--	197	0.122
--	--	--	54	0.004
--	--	--	196	0.096
--	--	--	56	0.014
--	--	--	195/1/1, 195/1/2, 195/2/1, 195/2/2	0.145
--	--	--	193	0.017
--	--	--	192	0.092
--	--	--	188	0.012
--	--	--	189	0.004
--	--	--	186	0.025
--	--	--	187	0.014
--	--	--	285	0.026
--	--	--	283/1/क, 283/1/ख, 283/1/ग, 283/1/घ, 283/1/ड., 283/2, 283/3, 283/4	0.150
--	--	--	286	0.021
--	--	--	287/1/1/क, 287/1/1/ख, 287/1/1/ग, 287/1/1/घ, 287/1/2, 287/1/3, 287/1/4, 287/2/1, 287/2/2, 287/3, 287/4, 287/5, 287/6	0.729
--	--	--	226	0.080
--	--	--	225/1, 225/2	0.046
--	--	--	299/1/1/1, 299/1/1/2, 299/1/1/3, 299/1/1/4, 299/1/1/5, 299/1/2, 299/2	0.148
--	--	--	323/1, 323/2	0.102
--	--	--	322/1, 322/2	0.082
--	--	--	308	0.076
--	--	--	28	0.010
--	--	--	29	0.096
--	--	--	27	0.053
--	--	--	30	0.010

शहडोल	सोहागपुर	बरहाई / 59	316/1, 316/2	0.508
—	—	—	41	0.085
—	—	—	40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5	0.089
—	—	—	37	0.209
—	—	—	36/1, 36/2, 36/3	0.287

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 04/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बड़खेरा, पटवारी हल्का क्रमांक 59-खेतौली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	बड़खेरा / 59	34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10	0.224
—	—	—	39	0.004
—	—	—	40/1/क, 40/2, 40/2/ख, 40/3/ग, 40/4/घ, 40/5/ड	0.554

शहडोल	सोहागपुर	बड़खेरा/59	38/1, 38/1/2, 38/1/2/ख, 38/1/3/क, 38/1/3/ख, 38/1/4/क, 38/1/4/ख, 38/1/5, 38/1/6, 38/1/7, 38/1/8, 38/2/1/क, 38/2/1/ख, 38/2/1/ग, 38/2/2, 38/2/3, 38/2/4, 38/2/5	0.012
—	—	—	47	0.169
—	—	—	46	0.408
—	—	—	132/1, 132/2, 132/3, 132/4	0.052
—	—	—	134	0.425
—	—	—	133	0.004

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 05/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मैका, पटवारी हल्का क्रमांक 61-पोंगरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में संक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	मैका / 61	23	0.030
			24	0.040
			47/1/क, 47/1/ख, 47/2	0.367
			45	0.020
			43	0.014
			154/1, 154/2	0.010
			155	0.070
			153/1, 153/2/क, 153/2/ख	0.361

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 06/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम खेतौली, पटवारी हल्का क्रमांक 59-खेतौली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59	58	0.035
—	—	—	56	0.062
—	—	—	57	0.087
—	—	—	75/1, 75/2	0.097
—	—	—	74	0.004
—	—	—	76	0.051
—	—	—	81	0.048
—	—	—	80	0.013
—	—	—	82	0.052
—	—	—	84	0.016
—	—	—	83	0.113
—	—	—	86	0.319
—	—	—	87	0.106
—	—	—	88	0.100

शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59		
—	—	—	89/2	0.029
—	—	—	90	0.110
—	—	—	92	0.088
—	—	—	94	0.177
—	—	—	96	0.019
—	—	—	95	0.134
—	—	—	119/1, 119/2, 119/3	0.076
—	—	—	118	0.015
—	—	—	116	0.079
—	—	—	115	0.077
—	—	—	114	0.065
—	—	—	127	0.172
—	—	—	126/1, 126/2, 126/3	0.004
—	—	—	128	0.094
—	—	—	136	0.011
—	—	—	129	0.010
—	—	—	135	0.093
—	—	—	479	0.050
—	—	—	489	0.049
—	—	—	480/1, 480/2	0.019
—	—	—	487	0.016
—	—	—	484	0.092
—	—	—	483/1, 483/2	0.107
—	—	—	485	0.004
—	—	—	486	0.004
—	—	—	482	0.113
—	—	—	522	0.271
—	—	—	521/1, 521/2	0.007
—	—	—	520	0.004
—	—	—	523	0.132
—	—	—	524	0.004
—	—	—	525	0.006
—	—	—	526	0.005
—	—	—	527	0.058
—	—	—	528	0.014
—	—	—	529	0.057
—	—	—	464	0.010
—	—	—	530/1, 530/2	0.014
—	—	—	537	0.287
—	—	—	536/1, 536/2, 536/3, 536/4	0.007

शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59	541	0.192
"	"	"	540	0.010
"	"	"	542	0.088
"	"	"	543	0.010
"	"	"	613	0.038
"	"	"	612	0.103
"	"	"	610	0.019
"	"	"	611	0.004
"	"	"	811	0.092
"	"	"	812	0.114
"	"	"	803	0.017
"	"	"	802/1, 802/2, 802/3, 802/4/k, 802/4/kha 802/5	0.265
"	"	"	815	0.012
"	"	"	799	0.080
"	"	"	800	0.004
"	"	"	795	0.010
"	"	"	796	0.158
"	"	"	770	0.004
"	"	"	693	0.128
"	"	"	694	0.206
"	"	"	695	0.130
"	"	"	698	0.081
"	"	"	699	0.057
"	"	"	701/1, 701/2, 701/3, 701/4/1, 701/4/2	0.091
"	"	"	700	0.041
"	"	"	702/1, 702/2	0.047
"	"	"	703/2	0.155
"	"	"	703/935	0.035
"	"	"	708/1, 708/2	0.139
"	"	"	711	0.103
"	"	"	706	0.065
"	"	"	712	0.004
"	"	"	218	0.296
"	"	"	209	0.004
"	"	"	216/1, 216/2	0.045
"	"	"	217	0.077
"	"	"	215/1, 215/2	0.019
"	"	"	226	0.045
"	"	"	227/1, 227/2	0.030

शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59		
—	—	—	232	0.178
—	—	—	231	0.050
—	—	—	233	0.005
—	—	—	238	0.015
—	—	—	239	0.202
—	—	—	240	0.004
—	—	—	244/1, 244/2/1/k, 244/2/1/kh	0.251
—	—	—	245	0.004
—	—	—	246	0.016
—	—	—	248	0.074
—	—	—	252	0.004
—	—	—	253	0.052
—	—	—	254	0.049
—	—	—	255	0.197
—	—	—	257	0.004
—	—	—	269/2k, 269/2kh, 269/3, 269/4	0.036
—	—	—	258	0.005
—	—	—	268	0.004
—	—	—	267	0.048
—	—	—	266	0.052
—	—	—	265	0.014
—	—	—	272	0.109
—	—	—	281	0.004
—	—	—	273	0.004
—	—	—	278	0.038
—	—	—	306	0.064
—	—	—	960/1, 960/2	0.302
—	—	—	956	0.177
—	—	—	881	0.241
—	—	—	882/1, 882/2	0.183
—	—	—	908	0.101
—	—	—	905	0.068
—	—	—	909/1, 909/2, 909/3	0.027
—	—	—	884	0.051
—	—	—	883	0.093
—	—	—	886	0.019
—	—	—	888/2	0.035
—	—	—	901	0.058
—	—	—	318	0.118
—	—	—	297	0.078

शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59		
—	—	—	298	0.082
—	—	—	300	0.088
—	—	—	296	0.024
—	—	—	301	0.072
—	—	—	302	0.144
—	—	—	309	0.052
—	—	—	286	0.027
—	—	—	287	0.040
—	—	—	285	0.041
—	—	—	283	0.103
—	—	—	282	0.013
—	—	—	284	0.019
—	—	—	280	0.026
—	—	—	305	0.050
—	—	—	307	0.062
—	—	—	329	0.074
—	—	—	330	0.025
—	—	—	338	0.084
—	—	—	337	0.074
—	—	—	339	0.004
—	—	—	356	0.050
—	—	—	357	0.013
—	—	—	358	0.005
—	—	—	355	0.014
—	—	—	364	0.051
—	—	—	362	0.006
—	—	—	363	0.094
—	—	—	374/1, 374/2	0.012
—	—	—	372	0.094
—	—	—	371	0.149
—	—	—	401/1, 401/2	0.064
—	—	—	403	0.011
—	—	—	402	0.029
—	—	—	399/1, 399/2, 399/3	0.089
—	—	—	398	0.017
—	—	—	442	0.102
—	—	—	444	0.010
—	—	—	443	0.077
—	—	—	448	0.081
—	—	—	460	0.106

शहडोल	सोहागपुर	खेतौली / 59	461	0.191
—	—	—	462	0.004
—	—	—	463	0.030
—	—	—	538	0.036
—	—	—	646/2	0.059
—	—	—	670/1	0.087
—	—	—	677	0.008
—	—	—	676	0.097
—	—	—	675/1, 675/2/1, 675/2/2, 675/2/3, 675/2/4	0.100
—	—	—	686	0.045
—	—	—	687	0.004
—	—	—	689/1, 689/2	0.052
—	—	—	688	0.063
—	—	—	690/1, 690/2	0.088
—	—	—	696	0.028
—	—	—	782	0.264
—	—	—	827	0.030

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 07/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नवलपुर पटवारी हल्का क्रमांक 63-नवलपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	1171	0.027
—	—	—	1170	0.010

--	--	--	1169	0.010
--	--	--	1173/1, 1173/2, 1173/3, 1173/4/1, 1173/4/2	0.465
--	--	--	1179	0.010
--	--	--	1177/1/1, 1177/1/1/1, 1177/1/1/2, 1177/1/1/3, 1177/1/2, 1177/2	0.196
--	--	--	1182	0.004
--	--	--	1178/1, 1178/2	0.232
--	--	--	1194/2, 1194/3, 1194/4	1.467
--	--	--	1183	0.142

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	1210	0.119
--	--	--	1209	0.086
--	--	--	1214	0.010
--	--	--	1215	0.010
--	--	--	1213	0.180
--	--	--	1217/1, 1217/2, 1217/3	0.004
--	--	--	1223/1, 1223/2, 1223/3, 1223/4, 1223/5	0.062
--	--	--	1246	0.023
--	--	--	1243	0.225
--	--	--	1242	0.177
--	--	--	1241/1, 1241/2	0.102
--	--	--	1226/1, 1226/2, 1226/3	0.010
--	--	--	1240	0.172
--	--	--	1230/1, 1230/2, 1230/3, 1230/4, 1230/5	0.175
--	--	--	1229	0.061
--	--	--	1228	0.141
--	--	--	965/1, 965/2	0.587
--	--	--	964	0.027
--	--	--	963	0.036
--	--	--	961/1, 961/2	0.215
--	--	--	953	0.105
--	--	--	959	0.080
--	--	--	958/1, 958/2	0.090
--	--	--	955	0.280
--	--	--	954/1, 954/2	0.050
--	--	--	1529	0.035
--	--	--	1531/1, 1531/2, 1531/3, 1531/4, 1531/5	0.422
--	--	--	1532	0.125
--	--	--	945/1/क, 945/1/ख, 945/1/ग, 945/2/1, 945/2/2, 945/2/3	0.345
--	--	--	1533	0.128
--	--	--	1539/1, 1539/2, 1539/3, 1539/4	0.126
--	--	--	1540	0.235
--	--	--	938	0.825
--	--	--	18	0.383
--	--	--	19	0.035
--	--	--	20	0.010

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	26	0.180
--	--	--	27	0.105
--	--	--	39/1, 39/2	0.170
--	--	--	36	0.020
--	--	--	35	0.040
--	--	--	34	0.073
--	--	--	43	0.060
--	--	--	44	0.093
--	--	--	47	0.010
--	--	--	58	0.085
--	--	--	56	0.010
--	--	--	69	0.010
--	--	--	68/1, 68/2	0.152
--	--	--	67	0.139
--	--	--	66	0.040
--	--	--	96/1/क, 96/1/ख, 96/2	0.107
--	--	--	99	0.040
--	--	--	93	0.035
--	--	--	1280	0.034
--	--	--	1281/1, 1281/2	0.186
--	--	--	1278/1, 1278/2, 1278/3, 1278/4, 1278/5, 1278/6, 1278/7, 1278/8	0.507
--	--	--	1276/1, 1276/2, 1276/3, 1276/4	0.250
--	--	--	1277	0.125
--	--	--	1172	0.022
--	--	--	1019	0.010
--	--	--	1020/1/1, 1020/1/2, 1020/2, 1020/3	0.199
--	--	--	1201	0.190
--	--	--	1198/1, 1198/2	0.131
--	--	--	1196	0.056
--	--	--	1195	0.192
--	--	--	1193/1, 1193/2	0.185
--	--	--	1340	0.030
--	--	--	1310/1, 1310/2, 1310/3/1, 1310/3/2	0.174
--	--	--	1309	0.004
--	--	--	1311	0.066
--	--	--	1312	0.084

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	1308/1, 1308/2, 1308/3, 1308/4	0.075
--	--	--	1250/1, 1250/2, 1250/3, 1250/5/1, 1250/5/2, 1250/6, 1250/7, 1250/8, 1250/9/1, 1250/9/2, 1250/10	0.468
--	--	--	1323/1, 1323/2	0.102
--	--	--	1362	0.235
--	--	--	1361	0.010
--	--	--	1233/1, 1233/2, 1233/3/1, 1233/3/2	0.166
--	--	--	1232	0.283
--	--	--	936	0.180
--	--	--	942/1, 942/2	0.486
--	--	--	930	0.530
--	--	--	527/1, 527/2	0.050
--	--	--	245	0.113
--	--	--	246	0.074
--	--	--	247	0.010
--	--	--	243	0.135
--	--	--	242/1, 242/2	0.010
--	--	--	240	0.172
--	--	--	241	0.010
--	--	--	238	0.275
--	--	--	263	0.010
--	--	--	237	0.133
--	--	--	264	0.248
--	--	--	265	0.010
--	--	--	269	0.095
--	--	--	260	0.104
--	--	--	289	0.010
--	--	--	291	0.128
--	--	--	292/1, 292/2	0.079
--	--	--	293	0.091
--	--	--	421	0.015
--	--	--	294	0.010
--	--	--	255	0.004
--	--	--	295	0.027
--	--	--	259	0.004
--	--	--	417	0.253
--	--	--	301	0.137

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	303	0.094
--	--	--	300	0.004
--	--	--	416/1, 416/2	0.098
--	--	--	411	0.040
--	--	--	408/1, 408/2	0.254
--	--	--	409/1, 409/2	0.307
--	--	--	646	0.020
--	--	--	654	0.108
--	--	--	651	0.020
--	--	--	407	0.010
--	--	--	655	0.146
--	--	--	656	0.004
--	--	--	653	0.012
--	--	--	657	0.088
--	--	--	659	0.103
--	--	--	660	0.004
--	--	--	664	0.010
--	--	--	668	0.020
--	--	--	669	0.027
--	--	--	658	0.038
--	--	--	670	0.041
--	--	--	671	0.055
--	--	--	672	0.015
--	--	--	673	0.022
--	--	--	681	0.010
--	--	--	629	0.066
--	--	--	682	0.151
--	--	--	617	0.004
--	--	--	616	0.004
--	--	--	683/1, 683/2	0.128
--	--	--	607	0.079
--	--	--	615/1, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 615/6	0.185
--	--	--	610/1, 610/2, 610/3	0.163
--	--	--	614/1, 614/2	0.038
--	--	--	593	0.150
--	--	--	592	0.010
--	--	--	589/1, 589/2, 589/3, 589/4	0.014
--	--	--	588/1, 588/2	0.098
--	--	--	587/1, 587/2, 587/3, 587/4	0.010

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	583/1, 583/2, 583/3, 583/4	0.074
"	"	"	582/1, 582/2	0.074
"	"	"	581/1, 581/2	0.010
"	"	"	847/1, 847/2, 847/3/क, 847/3/ख	0.024
"	"	"	578/1, 578/2, 578/3	0.123
"	"	"	577/1, 577/2	0.022
"	"	"	576/1, 576/2	0.113
"	"	"	575/1, 575/2	0.026
"	"	"	574/1, 574/2	0.112
"	"	"	573/1, 573/2	0.010
"	"	"	913	0.004
"	"	"	907	0.083
"	"	"	906	0.010
"	"	"	908	0.028
"	"	"	909	0.068
"	"	"	910	0.011
"	"	"	912	0.047
"	"	"	946	0.043
"	"	"	921	0.171
"	"	"	922	0.034
"	"	"	923	0.015
"	"	"	943	0.069
"	"	"	924	0.128
"	"	"	940	0.227
"	"	"	937	0.004
"	"	"	1544	0.137
"	"	"	2/1, 2/2, 2/3, 2/4	0.110
"	"	"	5	0.041
"	"	"	7/1, 7/2	0.056
"	"	"	6/1, 6/1/ख, 6/2, 6/3, 6/4	0.075
"	"	"	17	0.083
"	"	"	21/1, 21/2	0.010
"	"	"	22/1, 22/2, 22/3/क, 22/3/ख	0.010
"	"	"	141	0.021
"	"	"	142/1, 142/2	0.062
"	"	"	143	0.018
"	"	"	212	0.070
"	"	"	210	0.189

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63		
--	--	--	211	0.004
--	--	--	209	0.010
--	--	--	197	0.004
--	--	--	208	0.116
--	--	--	198/1, 198/2	0.162
--	--	--	207	0.018
--	--	--	199/1, 199/2, 199/3	0.160
--	--	--	201/1, 201/2	0.092
--	--	--	202	0.042
--	--	--	234/1, 234/2, 234/3	0.010
--	--	--	236	0.015
--	--	--	235	0.011
--	--	--	451/1/क/1, 451/1/क/2, 451/1/क/3, 451/1/क/4, 451/1/ख, 451/1/ग, 451/1/घ, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/12, 451/13	0.482
--	--	--	448	0.004
--	--	--	449	0.123
--	--	--	535	0.085
--	--	--	536	0.045
--	--	--	545/1, 545/2	0.182
--	--	--	544	0.039
--	--	--	549/1, 549/2	0.010
--	--	--	550/1, 550/1/ख, 550/2, 550/3	0.101
--	--	--	558/1/1, 558/1/2, 558/2, 558/3	0.063
--	--	--	559	0.065
--	--	--	569	0.028
--	--	--	568	0.057
--	--	--	570/1/1, 570/1/2, 570/2, 570/3	0.010
--	--	--	571/1/1, 571/1/2, 571/2, 571/3	0.091
--	--	--	572	0.078
--	--	--	579/1, 579/2	0.004
--	--	--	580/1, 580/2	0.012

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	1376	0.034
--	--	--	1375 / 1, 1375 / 2	0.253
--	--	--	1373 / 1, 1373 / 2	0.092
--	--	--	1372	0.050
--	--	--	1380	0.003
--	--	--	1381 / 1, 1381 / 2	0.041
--	--	--	1392	0.050
--	--	--	1391	0.219
--	--	--	1390	0.036
--	--	--	1388	0.150
--	--	--	1395	0.004
--	--	--	1387	0.184
--	--	--	1386	0.017
--	--	--	1407 / 1, 1407 / 2, 1407 / 3, 1407 / 4, 1407 / 5, 1407 / 6	0.133
--	--	--	1410	0.071
--	--	--	1409	0.060
--	--	--	1420	0.005
--	--	--	1419	0.079
--	--	--	1418	0.048
--	--	--	1424	0.023
--	--	--	1425	0.120
--	--	--	1427 / 1, 1427 / 2	0.340
--	--	--	1430	0.310
--	--	--	1431	0.301
--	--	--	1429	0.008
--	--	--	1432	0.104
--	--	--	1438	0.236
--	--	--	1436	0.064
--	--	--	1437	0.098
--	--	--	1366 / 1 / 1, 1366 / 1 / 2, 1366 / 2, 1366 / 3 / 1, 1366 / 3 / 2, 1366 / 4, 1366 / 5, 1366 / 6, 1366 / 7, 1366 / 8	0.605
--	--	--	1506	0.448
--	--	--	1495	0.107
--	--	--	1496	0.075
--	--	--	1497	0.004
--	--	--	1494	0.120
--	--	--	1499	0.029
--	--	--	1503 / 1, 1503 / 2	0.093

शहडोल	सोहागपुर	नवलपुर/63	1559/1, 1559/2, 1559/3	0.070
--	--	--	1560/1, 1560/2	0.080
--	--	--	1564	1.286
--	--	--	1504	0.318
--	--	--	1558/1, 1558/2, 1558/3	0.121
--	--	--	1557	0.248
--	--	--	1562	0.080
--	--	--	1561	0.060
--	--	--	1345	0.189
--	--	--	1344/1, 1344/2	0.110
--	--	--	1346	0.028
--	--	--	1347/1, 1347/2, 1347/3	0.197
--	--	--	1367/1, 1367/2	0.236
--	--	--	1399	0.009
--	--	--	1423	0.026
--	--	--	1428/1, 1428/2, 1428/3	0.004
--	--	--	1565	0.827
--	--	--	1553/1, 1553/2	0.132
--	--	--	1449	0.025
--	--	--	1448	0.045
--	--	--	1447	0.042
--	--	--	1415	0.012
--	--	--	1416/1, 1416/2, 1416/3	0.143
--	--	--	1445	0.067
--	--	--	1426	0.004
--	--	--	1444	0.140
--	--	--	1457/1, 1457/2, 1457/3	0.528
--	--	--	1452	0.075
--	--	--	1451	0.004
--	--	--	1450/1, 1450/2, 1450/3, 1450/4, 1450/5, 1450/6, 1450/7	0.235

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 08/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नंदना पटवारी हल्का क्रमांक 62-हरदी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62	1	0.106
—	—	—	57	0.137
—	—	—	55/1, 55/2	0.016
—	—	—	56	0.113
—	—	—	53	0.108
—	—	—	44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6/1, 44/6/2	0.095
—	—	—	48	0.050
—	—	—	50/1, 50/2	0.238
—	—	—	49	0.022
—	—	—	62/1, 62/2/क, 62/2/ख, 62/3	0.247
—	—	—	64	0.085
—	—	—	386/1, 386/2	0.252
—	—	—	388	0.244

शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62	387 / 1, 387 / 2	0.061
"	"	"	392	0.094
"	"	"	394	0.016
"	"	"	370 / 1, 370 / 2	0.120
"	"	"	421	0.117
"	"	"	420	0.182
"	"	"	419	0.135
"	"	"	409	0.004
"	"	"	410 / 1, 410 / 2	0.223
"	"	"	408	0.102
"	"	"	418 / 1, 418 / 2	0.004
"	"	"	415	0.014
"	"	"	411	0.056
"	"	"	429	0.045
"	"	"	407 / 1, 407 / 2	0.004
"	"	"	430	0.057
"	"	"	433	0.075
"	"	"	435	0.043
"	"	"	437 / 1 / 1, 437 / 1 / 2, 437 / 2	0.150
"	"	"	450	0.139
"	"	"	454	0.074
"	"	"	453 / 1, 453 / 2	0.102
"	"	"	456	0.176
"	"	"	457	0.004
"	"	"	465	0.089
"	"	"	464	0.077
"	"	"	463	0.088
"	"	"	503	0.004
"	"	"	518	0.046
"	"	"	517	0.107
"	"	"	516	0.004
"	"	"	519	0.069
"	"	"	520 / 1, 520 / 2	0.394
"	"	"	521	0.046
"	"	"	1	0.021
"	"	"	59 / 1, 59 / 2, 59 / 3	0.245
"	"	"	52 / 1, 52 / 2	0.010
"	"	"	51 / 1, 51 / 2, 51 / 3	0.139
"	"	"	50 / 1, 50 / 2	0.038
"	"	"	127	0.023

शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62		
--	--	--	126	0.096
--	--	--	128	0.091
--	--	--	129	0.080
--	--	--	114	0.011
--	--	--	22	0.004
--	--	--	113	0.177
--	--	--	112	0.004
--	--	--	26	0.049
--	--	--	111	0.057
--	--	--	27	0.013
--	--	--	28	0.004
--	--	--	110	0.054
--	--	--	102	0.184
--	--	--	103	0.219
--	--	--	101/1/क, 101/1/ख, 101/1/ग, 101/1/घ, 101/1/ड, 101/2	0.175
--	--	--	46	0.040
--	--	--	104/1/क, 104/1/ख, 104/1/ग, 104/1/घ, 104/1/ड, 104/2	0.004
--	--	--	49	0.020
--	--	--	48	0.014
--	--	--	1	0.022
--	--	--	238/1/क, 238/1/ख, 238/2	0.196
--	--	--	4/1, 4/2	0.093
--	--	--	5	0.115
--	--	--	7	0.069
--	--	--	8	0.047
--	--	--	9	0.031
--	--	--	10/1, 10/2, 10/3	0.406
--	--	--	19	0.133
--	--	--	20	0.019
--	--	--	114	0.046
--	--	--	21	0.026
--	--	--	22	0.018
--	--	--	274	0.083
--	--	--	273	0.053
--	--	--	534	0.158
--	--	--	272	0.018
--	--	--	269/1, 269/2, 269/3	0.412
--	--	--	267/1/1, 267/1/2, 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 267/6	0.354

शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62	266	0.061
--	--	--	262 / 537	0.146
--	--	--	262 / 538	0.089
--	--	--	258	0.037
--	--	--	257	0.087
--	--	--	256	0.010
--	--	--	228	0.316
--	--	--	227	0.004
--	--	--	15	0.049
--	--	--	16	0.010
--	--	--	117	0.087
--	--	--	119	0.004
--	--	--	116 / 1, 116 / 2	0.091
--	--	--	118	0.020
--	--	--	124	0.043
--	--	--	125	0.036
--	--	--	306 / 1, 306 / 2	0.022
--	--	--	307	0.060
--	--	--	311	0.025
--	--	--	308	0.063
--	--	--	310	0.105
--	--	--	325	0.010
--	--	--	324 / 1, 324 / 2 / क, 324 / 2 / ख, 324 / 3 / ग, 324 / 3 / घ	0.290
--	--	--	323 / 1, 323 / 2, 323 / 3	0.005
--	--	--	326	0.023
--	--	--	328	0.129
--	--	--	327	0.004
--	--	--	329 / 1, 329 / 2, 329 / 3, 329 / 4	0.280
--	--	--	332 / 1, 332 / 2, 332 / 3, 332 / 4, 332 / 5	0.004
--	--	--	333 / 1, 333 / 2, 333 / 3, 333 / 4	0.270
--	--	--	375	0.139
--	--	--	374	0.037
--	--	--	376	0.094
--	--	--	373 / 1, 373 / 2	0.072
--	--	--	372	0.020
--	--	--	391 / 1, 391 / 2 / क, 391 / 2 / ख	0.068
--	--	--	371	0.163
--	--	--	370 / 1, 370 / 2	0.088
--	--	--	468	0.037

शहडोल	सोहागपुर	नंदना / 62	397	0.455
--	--	--	387 / 1, 387 / 2	0.114
--	--	--	393	0.169
--	--	--	388	0.056
--	--	--	394	0.010
--	--	--	392	0.053
--	--	--	344	0.068
--	--	--	354 / 1, 354 / 2, 354 / 3	0.178
--	--	--	356 / 1, 356 / 2	0.381
--	--	--	357 / 1 / 1, 357 / 1 / 2, 357 / 2 / 1, 357 / 2 / 2	0.063
--	--	--	363 / 1, 363 / 2	0.077
--	--	--	364	0.033
--	--	--	365 / 1, 365 / 2, 365 / 3, 365 / 4	0.074
--	--	--	423	0.055
--	--	--	369 / 1, 369 / 2	0.089
--	--	--	422	0.026
--	--	--	421	0.044
--	--	--	370 / 1, 370 / 2	0.189
--	--	--	468	0.010
--	--	--	475 / 1, 475 / 2	0.267
--	--	--	474	0.081
--	--	--	473	0.004
--	--	--	472	0.144
--	--	--	471	0.177
--	--	--	467 / 2, 467 / 3	0.354
--	--	--	469 / 1, 469 / 2, 469 / 3	0.048
--	--	--	452 / 1, 452 / 2	0.107
--	--	--	306 / 1, 306 / 2	0.010
--	--	--	304	0.136
--	--	--	305	0.184
--	--	--	306 / 1, 306 / 2	0.010

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 09/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर पटवारी हल्का क्रमांक 67-कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	2213	0.040
—	—	—	2150/1, 2150/2, 2150/3	0.136
—	—	—	2149/1, 2149/2	0.463
—	—	—	2136	0.098
—	—	—	2129	0.253
—	—	—	2132	0.027
—	—	—	2133	0.138
—	—	—	2118	0.184
—	—	—	2117	0.104
—	—	—	2116	0.113
—	—	—	2078	0.012
—	—	—	2089/1, 2089/2	0.227
—	—	—	2088	0.095
—	—	—	2090	0.017
—	—	—	2091/1, 2091/2	0.010

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67		
--	--	--	2095	0.069
--	--	--	2099	0.045
--	--	--	2094/1	0.063
--	--	--	2094/2	0.051
--	--	--	2100	0.010
--	--	--	2037/1, 2037/2	0.010
--	--	--	2035/1, 2035/2, 2035/3, 2035/4	0.132
--	--	--	2031/1, 2031/2, 2031/3	0.112
--	--	--	2032	0.004
--	--	--	2030	0.049
--	--	--	2029/1, 2029/2/क, 2029/2/ख	0.066
--	--	--	2028	0.035
--	--	--	1075	0.010
--	--	--	2027/1, 2027/2/1, 2027/2/2	0.104
--	--	--	2026	0.022
--	--	--	2025	0.007
--	--	--	2024	0.036
--	--	--	1085	0.016
--	--	--	1086	0.070
--	--	--	2018/1/क, 2018/1/ख, 2018/2	0.010
--	--	--	1119	0.024
--	--	--	1123	0.119
--	--	--	1122/1, 1122/2	0.016
--	--	--	1125/1/क, 1125/1/ख, 1125/2	0.100
--	--	--	1124	0.211
--	--	--	1136/1, 1136/2	0.021
--	--	--	1137/1, 1137/2, 1137/3	0.153
--	--	--	1138/1, 1138/2/क, 1138/2/ख	0.310
--	--	--	1194	0.228
--	--	--	1240	0.177
--	--	--	1241	0.010
--	--	--	1242	0.010
--	--	--	1243	0.028
--	--	--	1265	0.083
--	--	--	1264	0.015
--	--	--	1263/1/क, 1263/1/ख, 1263/1/ग, 1263/2	0.130
--	--	--	1248	0.010
--	--	--	1251	0.094
--	--	--	1250	0.010
--	--	--	1249	0.010

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/87	1253	0.046
--	--	--	1254/1, 1254/2	0.042
--	--	--	1695/1, 1695/2, 1695/3, 1695/4, 1695/5	0.034
--	--	--	1694/1, 1694/2/क, 1694/2/ख, 1694/2/ग, 1694/2/घ, 1694/2/ङ	0.100
--	--	--	1693/1, 1693/2	0.011
--	--	--	1698	0.004
--	--	--	1692/1, 1692/2/क, 1692/2/ख, 1692/2/ग	0.095
--	--	--	1699/1, 1699/2	0.106
--	--	--	1704/1, 1704/2	0.093
--	--	--	1703	0.015
--	--	--	1705	0.059
--	--	--	1708	0.010
--	--	--	1706/1, 1706/2	0.130
--	--	--	1707	0.020
--	--	--	1712	0.036
--	--	--	1711/1, 1711/2/क, 1711/2/ख	0.191
--	--	--	1719	0.004
--	--	--	1720/1, 1720/2, 1720/3	0.012
--	--	--	1722	0.010
--	--	--	1726/1, 1726/2	0.306
--	--	--	1728	0.020
--	--	--	1729/1, 1729/2, 1729/3, 1729/4, 1729/5, 1729/6, 1729/7, 1729/8	0.375
--	--	--	1651/1, 1651/2	0.014
--	--	--	1648	0.203
--	--	--	1647	0.062
--	--	--	1646	0.118
--	--	--	1645	0.020
--	--	--	1642/1, 1642/2, 1642/3, 1642/4	0.110
--	--	--	1644	0.022
--	--	--	1643	0.173
--	--	--	1636	0.022
--	--	--	1634/1, 1634/2	0.089
--	--	--	1633/1, 1633/2, 1633/3, 1633/4, 1633/5	0.070

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	1632/1, 1632/2/1, 1632/2/2, 1632/3	0.082
"	"	"	1630	0.038
"	"	"	1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4	0.129
"	"	"	1605	0.041
"	"	"	1606/1, 1606/2	0.015
"	"	"	1607/1, 1607/2	0.023
"	"	"	1612	0.010
"	"	"	1611	0.043
"	"	"	1610	0.073
"	"	"	1618	0.052
"	"	"	1591	0.045
"	"	"	1592	0.004
"	"	"	1588	0.082
"	"	"	1589	0.010
"	"	"	1585	0.021
"	"	"	1552	0.278
"	"	"	1567	0.117
"	"	"	1566/1, 1566/2/क, 1566/2/ख	0.250
"	"	"	1565/1, 1565/2	0.109
"	"	"	1564/1, 1564/2	0.028
"	"	"	890	0.010
"	"	"	894/1/क/1, 894/1/क/2, 894/1/क/3, 894/1/क/4, 894/1/ख, 894/2, 894/3, 894/4, 894/5, 894/6	0.109
"	"	"	888/1, 888/2	0.033
"	"	"	886/1, 886/2	0.011
"	"	"	889/1, 889/2/1, 889/2/2, 889/2/3, 889/3, 889/4	0.164
"	"	"	855/1, 855/2	0.022
"	"	"	413	0.091
"	"	"	411	0.073
"	"	"	412	0.028
"	"	"	410/1, 410/2	0.182
"	"	"	405/1, 405/2	0.037
"	"	"	403/1/क, 403/1/ख, 403/1/ग, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5	0.089
"	"	"	404	0.116
"	"	"	402	0.010
"	"	"	399	0.097

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	401/1, 401/2, 401/3	0.092
"	"	"	389/1, 389/2	0.050
"	"	"	393	0.184
"	"	"	394	0.176
"	"	"	2312/1, 2312/2	0.099
"	"	"	381	0.089
"	"	"	392/1, 392/2	0.240
"	"	"	391	0.125
"	"	"	390	0.124
"	"	"	385	0.127
"	"	"	386	0.010
"	"	"	447/1, 447/2, 447/3	0.172
"	"	"	437	0.055
"	"	"	436/1, 436/2	0.132
"	"	"	435	0.089
"	"	"	455	0.023
"	"	"	456/1, 456/2, 456/3, 456/4	0.019
"	"	"	465/1, 465/2	0.134
"	"	"	466/1/क, 466/1/ख, 466/2, 466/3, 466/4	0.004
"	"	"	464	0.211
"	"	"	463	0.083
"	"	"	474	0.010
"	"	"	475	0.183
"	"	"	477/1, 477/2, 477/3	0.156
"	"	"	493/1/क, 493/1/ख, 493/2, 493/3	0.213
"	"	"	492	0.010
"	"	"	497	0.049
"	"	"	500	0.168
"	"	"	499	0.010
"	"	"	501/1, 501/2	0.041
"	"	"	502	0.153
"	"	"	325/1, 325/2, 325/3/क, 325/3/ख	0.014
"	"	"	2303/1, 2303/2, 2303/3	0.024
"	"	"	205	0.081
"	"	"	210	0.041
"	"	"	206	0.146
"	"	"	213/1, 213/2, 213/3, 213/4	0.219
"	"	"	214/1, 214/2	0.079
"	"	"	218/1/क, 218/1/ख, 218/2	0.236

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	92	0.157
--	--	--	91	0.096
--	--	--	98/1, 98/2/क, 98/2/ख, 98/2/ग, 98/3	0.074
--	--	--	83	0.051
--	--	--	99	0.129
--	--	--	82	0.051
--	--	--	104	0.064
--	--	--	106	0.152
--	--	--	107	0.188
--	--	--	108	0.105
--	--	--	109	0.078
--	--	--	70/1, 70/2	0.017
--	--	--	63/1/क, 63/1/ख, 63/1/ग, 63/2, 63/3, 63/4	0.644
--	--	--	50	0.111
--	--	--	51	0.123
--	--	--	52	0.157
--	--	--	54	0.054
--	--	--	55	0.182
--	--	--	53	0.082
--	--	--	48/1, 48/2/क, 48/2/ख, 48/2/ग, 48/3	0.029
--	--	--	16/1, 16/2	0.061
--	--	--	33/1, 33/2/क, 33/2/ख, 33/2/ग, 33/3	0.123
--	--	--	22	0.068
--	--	--	23	0.089
--	--	--	31/1, 31/2, 31/3	0.017
--	--	--	24	0.036
--	--	--	25	0.045
--	--	--	28/1, 28/2	0.213
--	--	--	26/1, 26/2	0.010
--	--	--	27	0.047
--	--	--	29	0.043
--	--	--	290	0.027
--	--	--	302/1, 302/2	0.365
--	--	--	304/1, 304/2, 304/3, 304/4	0.004
--	--	--	305/1, 305/2	0.136
--	--	--	308	0.019
--	--	--	312/1, 312/2	0.085
--	--	--	313/1, 313/2, 313/3, 313/4	0.086

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	346/1/1, 346/1/2, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 346/9	0.431
--	--	--	349/1, 349/2	0.205
--	--	--	348/1/क, 348/1/ख/1, 348/1/ख/2, 348/2, 348/3	0.069
--	--	--	359/1, 359/2, 359/3, 359/4	0.039
--	--	--	360/2, 360/3, 360/4/क/1, 360/4/क/2, 360/5	0.327
--	--	--	287	0.248
--	--	--	286/1/क, 286/1/ख/1, 286/1/ख/2, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5	0.152
--	--	--	263	0.031
--	--	--	265/1, 265/2, 265/3	0.121
--	--	--	264	0.004
--	--	--	266/1, 266/2, 266/3/क, 266/3/ख, 266/3/ग, 266/3/घ, 266/4/1, 266/4/2	0.395
--	--	--	261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 261/5, 261/6	0.004
--	--	--	255	0.203
--	--	--	253/2306	0.010
--	--	--	254	0.194
--	--	--	37/1/क, 37/1/ख, 37/2, 37/3	0.024
--	--	--	38/1, 38/2	0.044
--	--	--	45	0.056
--	--	--	46/1/क, 46/1/ख, 46/2	0.343
--	--	--	49	0.170
--	--	--	13	0.067
--	--	--	54/2301/1, 54/2301/2, 54/2301/3	0.010
--	--	--	1238/1, 1238/2	0.051
--	--	--	1239	0.010
--	--	--	1237	0.028
--	--	--	1195/1, 1195/2	0.097
--	--	--	1196	0.032
--	--	--	1197/1, 1197/2	0.066
--	--	--	1223	0.144
--	--	--	1222/1, 1222/2/क, 1222/2/ख	0.142

शहडोल	सोहागपुर	कंचनपुर/67	1221/1/क/1, 1221/1/क/2, 1221/1/ख, 1221/2	0.116
—	—	—	12	0.111
—	—	—	8	0.142
—	—	—	3	0.416
—	—	—	4/1, 4/2	0.010
—	—	—	5/1, 5/2	0.032
—	—	—	1375	0.115
—	—	—	1376/1/क, 1376/1/ख, 1376/1/ग, 1376/2	0.058
—	—	—	1377/1, 1377/2	0.056
—	—	—	1378/1, 1378/2/1, 1378/2/2	0.055
—	—	—	1379/1, 1379/2, 1379/3	0.056
—	—	—	1380/1, 1380/2	0.049
—	—	—	1381	0.046
—	—	—	1393/1, 1393/2	0.071
—	—	—	1392	0.058
—	—	—	1391/1, 1391/2	0.071
—	—	—	1388/1, 1388/2	0.022
—	—	—	1390	0.012
—	—	—	1389/1, 1389/2, 1389/3, 1389/4, 1389/5, 1389/6	0.028
—	—	—	192/1, 192/2	0.077
—	—	—	193/1, 193/2, 193/3, 193/4	0.111
—	—	—	96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6	0.004
—	—	—	191	0.014
—	—	—	97/1, 97/2, 97/3	0.139
—	—	—	101	0.024
—	—	—	100	0.006
—	—	—	292	0.056
—	—	—	294	0.152
—	—	—	301	0.072
—	—	—	467	0.065
—	—	—	466/1 क, 466/1 ख, 466/2, 466/3, 466/4	0.010
—	—	—	470/1, 470/2	0.010

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)

दिनांक : 25-05-2016

क्रमांक 10/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हरी पटवारी हल्का क्रमांक 68-हरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	हरी / 68	422	0.047
--	--	--	646 / 1, 646 / 2, 646 / 3, 646 / 4, 646 / 5, 646 / 6, 646 / 7	0.289
--	--	--	645 / 1, 645 / 2	0.041
--	--	--	644 / 1, 644 / 2, 644 / 3, 644 / 4, 644 / 5, 644 / 6	0.010
--	--	--	628 / 1, 628 / 2, 628 / 3, 628 / 4, 628 / 5, 628 / 6, 628 / 7	0.180
--	--	--	629 / 1/क, 629 / 1/ख, 629 / 2, 629 / 3, 629 / 4, 629 / 5	0.235
--	--	--	630 / 1, 630 / 2, 630 / 3, 630 / 4, 630 / 5	0.104

शहडोल	सोहागपुर	हरी / 68	633/1/क, 633/1/ख, 633/2, 633/3	0.017
--	--	--	631/1, 631/2, 631/3	0.099
--	--	--	625/1, 625/2, 625/3, 625/4	0.083
--	--	--	624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5	0.201
--	--	--	621	0.008
--	--	--	619/1, 619/2, 619/3	0.010
--	--	--	622	0.047
--	--	--	620	0.156
--	--	--	613	0.066
--	--	--	611	0.004
--	--	--	612	0.034
--	--	--	563	0.262
--	--	--	561	0.010
--	--	--	562/1, 562/2	0.073
--	--	--	559	0.015
--	--	--	555	0.020
--	--	--	552/1, 552/2	0.016
--	--	--	554/1, 554/2	0.092
--	--	--	553	0.149
--	--	--	530	0.131
--	--	--	479	0.024
--	--	--	529	0.186
--	--	--	528	0.213
--	--	--	533	0.270
--	--	--	535	0.215
--	--	--	534	0.024
--	--	--	536	0.004
--	--	--	537	0.134
--	--	--	540	0.047
--	--	--	539	0.109
--	--	--	538	0.013
--	--	--	541	0.123
--	--	--	544/1, 544/2, 544/3	0.004
--	--	--	542	0.093
--	--	--	543	0.031
--	--	--	509	0.021
--	--	--	414/1, 414/2	0.027
--	--	--	417/1, 417/2	0.192

शहडोल	सोहागपुर	हरी / 68	418	0.139
--	--	--	419/1, 419/2, 419/3	0.004
--	--	--	420/1, 420/2	0.089
--	--	--	421	0.014
--	--	--	423/1, 423/2/क, 423/2/ख	0.282
--	--	--	406	0.054
--	--	--	435	0.010
--	--	--	433	0.046
--	--	--	434/1, 434/2	0.010
--	--	--	432/1, 432/2, 432/3	0.012
--	--	--	424/1, 424/2	0.549
--	--	--	627/1, 627/2, 627/3, 627/4	0.147
--	--	--	507	0.004
--	--	--	506/1, 506/2, 506/3/1, 506/3/2, 506/4	0.051
--	--	--	505/1/1, 505/1/2, 505/1/3, 505/1/4, 505/1/5, 505/2/1, 505/2/2	0.160
--	--	--	501/1, 501/2, 501/3, 501/4	0.245
--	--	--	498/1, 498/2, 498/3	0.114
--	--	--	497	0.034
--	--	--	473	0.028
--	--	--	474/1, 474/2/1, 474/2/2	0.068
--	--	--	484/1, 484/2	0.152
--	--	--	488/1, 488/2, 488/3	0.010
--	--	--	483	0.071
--	--	--	477	0.004
--	--	--	481	0.125
--	--	--	480	0.107
--	--	--	437/1, 437/2, 437/3	0.082
--	--	--	438	0.020
--	--	--	399/1, 399/2	0.080
--	--	--	398	0.138
--	--	--	377	0.090
--	--	--	376	0.030
--	--	--	375	0.130
--	--	--	374	0.085
--	--	--	361/1 ख, 361/1 ग	0.099
--	--	--	373	0.070
--	--	--	369	0.078

शहडोल	सोहागपुर	हरी / 68	368	0.040
—	—	—	371	0.095
—	—	—	328	0.115
—	—	—	330 / 1, 330 / 2, 330 / 3, 330 / 4	0.116
—	—	—	346 / 1, 346 / 2	0.010
—	—	—	532 / 1, 532 / 2	0.183
—	—	—	590	0.018
—	—	—	591	0.005
—	—	—	572 / 1, 572 / 2	0.085
—	—	—	601	0.080
—	—	—	603	0.077
—	—	—	602	0.136
—	—	—	568 / 1, 568 / 2, 568 / 3	0.204
—	—	—	569 / 1, 569 / 2	0.168
—	—	—	564	0.020

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 11/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी पटवारी हल्का क्रमांक 60-सेंदुरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	526 / 1, 526 / 2	0.181
—	—	—	528	0.215
—	—	—	527	0.030

--	--	--	522	0.381
--	--	--	529	0.004
--	--	--	523/1, 523/2	0.200
--	--	--	183/1, 183/2, 183/3	0.026
--	--	--	175	0.021
--	--	--	184/1, 184/2	0.117
--	--	--	187	0.046
--	--	--	185	0.096
--	--	--	186/1/क, 186/1/ख, 186/2	0.032
--	--	--	195	0.025
--	--	--	198/1/क, 198/1/ख, 198/2	0.273
--	--	--	197	0.134
शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	196/1, 196/2, 196/3	0.112
--	--	--	208	0.095
--	--	--	212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7	0.341
--	--	--	223/1, 223/2	0.264
--	--	--	224	0.037
--	--	--	226	0.085
--	--	--	237	0.315
--	--	--	240	0.488
--	--	--	239	0.029
--	--	--	243	0.158
--	--	--	241	0.111
--	--	--	271	0.192
--	--	--	270	0.250
--	--	--	274	0.033
--	--	--	286	0.785
--	--	--	279	0.079
--	--	--	278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13	0.130
--	--	--	669	0.077
--	--	--	282	0.036
--	--	--	284	0.166
--	--	--	432	0.010
--	--	--	433	0.267
--	--	--	434/1, 434/2	0.047
--	--	--	435	0.221
--	--	--	436	0.010
--	--	--	437	0.059
--	--	--	438	0.068
--	--	--	439/1, 439/2	0.072

--	--	--	441	0.022
--	--	--	442	0.079
--	--	--	456/1, 456/2/क, 456/2/ख, 456/2/ग, 456/3	0.712
--	--	--	457	0.056
--	--	--	458/1, 458/2	0.133
--	--	--	461	0.185
--	--	--	460	0.032
--	--	--	96	0.265
--	--	--	95	0.191
--	--	--	94	0.014
--	--	--	92	0.039
शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	91	0.064
--	--	--	90	0.048
--	--	--	89	0.010
--	--	--	88	0.079
--	--	--	87	0.039
--	--	--	86	0.106
--	--	--	83	0.004
--	--	--	84	0.047
--	--	--	82	0.004
--	--	--	81/654	0.114
--	--	--	80/1, 80/2, 80/676	0.175
--	--	--	79	0.013
--	--	--	77/1, 77/2	0.026
--	--	--	93	0.010
--	--	--	104	0.018
--	--	--	76	0.022
--	--	--	23	0.004
--	--	--	22	0.049
--	--	--	34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6	0.320
--	--	--	41	0.036
--	--	--	41/679	0.074
--	--	--	42/1, 42/2/क, 42/2/ख, 42/3	0.258
--	--	--	43/1, 43/2, 43/3, 43/4	0.050
--	--	--	43/674	0.038
--	--	--	52	0.109
--	--	--	73	0.082
--	--	--	51	0.059
--	--	--	74	0.221
--	--	--	75	0.004
--	--	--	152	0.010
--	--	--	126	0.044
--	--	--	125	0.051

--	--	--	127	0.069
--	--	--	131	0.019
--	--	--	132	0.044
--	--	--	133	0.004
--	--	--	130	0.010
--	--	--	135	0.136
--	--	--	136	0.202
--	--	--	122	0.014
--	--	--	211	0.004
--	--	--	492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 492/7, 492/8	0.123
शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	501	0.078
--	--	--	206/1/क, 206/1/ख, 206/2, 206/3/क, 206/3/ख	0.018
--	--	--	205	0.101
--	--	--	204/1, 204/2	0.193
--	--	--	207	0.083
--	--	--	301	0.058
--	--	--	312	0.022
--	--	--	260	0.149
--	--	--	263	0.185
--	--	--	262	0.010
--	--	--	265	0.277
--	--	--	287	0.084
--	--	--	288	0.030
--	--	--	281	0.010
--	--	--	277/671/1/क, 277/671/1/ख, 277/671/1/ग, 277/671/1/घ, 277/671/2	0.081
--	--	--	277/669/1, 277/669/2, 277/669/3	0.010
--	--	--	383/1, 383/2	0.366
--	--	--	384/1, 384/2	0.345
--	--	--	385/1, 385/2	0.129
--	--	--	386/1, 386/2	0.004
--	--	--	388/680	0.014
--	--	--	387	0.394
--	--	--	410	0.115
--	--	--	414/685	0.014
--	--	--	415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5, 415/6, 415/7	0.096
--	--	--	413	0.050
--	--	--	412	0.110
--	--	--	422/1/क, 422/1/ख, 422/2	0.085

--	--	--	421 / 1, 421 / 2	0.077
--	--	--	427 / 1, 427 / 2, 427 / 3	0.486
--	--	--	420	0.004
--	--	--	451	0.197
--	--	--	450 / 1, 450 / 2, 450 / 3	0.132
--	--	--	449	0.101
--	--	--	467 / 1, 467 / 2, 467 / 3	0.004
--	--	--	468 / 1, 468 / 2	0.004
--	--	--	466	0.125
--	--	--	650 / 1 / क, 650 / 1 / ख, 650 / 2	0.112
--	--	--	651 / 1, 651 / 2	0.086
शहडोल	सोहागपुर	सेंदुरी / 60	652	0.014
--	--	--	533 / 1, 533 / 2	0.477
--	--	--	537 / 1, 537 / 2, 537 / 3, 537 / 4 / क, 537 / 4 / ख, 537 / 4 / ग, 537 / 5, 537 / 6 / क, 537 / 6 / ख, 537 / 7, 537 / 8	0.817
--	--	--	536 / 1 / क, 536 / 1 / ख / 1, 536 / 1 / ख / 2, 536 / 1 / ग, 536 / 2	0.403
--	--	--	599 / 1, 599 / 2, 599 / 3, 599 / 4, 599 / 5 / क, 599 / 5 / ख	0.588
--	--	--	600	0.052
--	--	--	559 / 1, 559 / 2	0.047
--	--	--	543	0.167
--	--	--	542 / 1, 542 / 2, 542 / 3	0.573
--	--	--	539 / 1, 539 / 2	0.790
--	--	--	544 / 1, 544 / 2	0.068
--	--	--	541 / 1, 541 / 2	0.249
--	--	--	540 / 1, 540 / 2	0.424
--	--	--	538 / 1, 538 / 2	0.245
--	--	--	611 / 1, 611 / 2	0.075
--	--	--	597 / 1, 597 / 2	0.422
--	--	--	591	0.019
--	--	--	598 / 1 / क, 598 / 1 / ख, 598 / 2, 598 / 3, 598 / 4, 598 / 5, 598 / 6	0.118
--	--	--	606	0.086
--	--	--	605 / 1, 605 / 2, 605 / 3, 605 / 4	0.234
--	--	--	601	0.226

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 12/बी-121/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धुरवार पटवारी हल्का क्रमांक 69-धुरवार, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	1107	0.035
—	—	—	1111	0.272
—	—	—	1112/1, 1112/2	0.004
—	—	—	1335	0.054
—	—	—	1334/1, 1334/2	0.178
—	—	—	1339/1, 1339/2	0.211
—	—	—	1338/1, 1338/2	0.149
—	—	—	1295	0.043
—	—	—	1194/1, 1194/2, 1194/3, 1194/4	0.060
—	—	—	1191	0.055
—	—	—	1193	0.06
—	—	—	1192	0.040

शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	1093	0.005
--	--	--	1055	0.015
--	--	--	1056	0.024
--	--	--	1058	0.004
--	--	--	1057	0.204
--	--	--	1061	0.019
--	--	--	1064	0.004
--	--	--	1063/1, 1063/2	0.117
--	--	--	1062	0.136
--	--	--	1060	0.012
--	--	--	1068	0.024
--	--	--	1069/1, 1069/2, 1069/3, 1069/4, 1069/5, 1069/6	0.109
--	--	--	1079	0.015
--	--	--	1077	0.004
--	--	--	1078	0.196
--	--	--	1080	0.017
--	--	--	1104/1, 1104/2, 1104/3	0.008
--	--	--	1102	0.120
--	--	--	1103	0.079
--	--	--	1100	0.012
--	--	--	1098/1, 1098/2, 1098/3, 1098/4	0.004
--	--	--	1105	0.004
--	--	--	1106/1, 1106/2, 1106/3, 1106/4	0.336
--	--	--	1126	0.043
--	--	--	1123	0.091
--	--	--	1122	0.117
--	--	--	1263	0.073
--	--	--	1262	0.018
--	--	--	1270	0.002
--	--	--	1269	0.012
--	--	--	1268	0.106
--	--	--	1164	0.005
--	--	--	1271/1, 1271/2	0.052
--	--	--	1267	0.004
--	--	--	1274/1, 1274/2	0.030

शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	1273 / 1, 1273 / 2	0.188
"	"	"	1272 / 1, 1272 / 2	0.008
"	"	"	1280	0.113
"	"	"	1283	0.053
"	"	"	1284	0.004
"	"	"	1285	0.079
"	"	"	1340 / 1, 1340 / 2	0.095
"	"	"	1341	0.045
"	"	"	316 / 1, 316 / 2	0.047
"	"	"	319 / 1, 319 / 2 / 1, 319 / 2 / 2, 319 / 3, 319 / 4, 319 / 5	0.004
"	"	"	318 / 1, 318 / 2	0.004
"	"	"	317 / 1, 317 / 2, 317 / 3, 317 / 4, 317 / 5, 317 / 6 / 1, 317 / 6 / 2	0.010
"	"	"	315 / 1, 315 / 2	0.004
"	"	"	312 / 1, 312 / 2	0.091
"	"	"	311 / 1, 311 / 2	0.012
"	"	"	310 / 1, 310 / 2	0.004
"	"	"	323	0.125
"	"	"	324	0.004
"	"	"	321	0.006
"	"	"	325	0.028
"	"	"	326	0.020
"	"	"	333	0.010
"	"	"	327	0.004
"	"	"	332	0.040
"	"	"	331	0.019
"	"	"	335 / 1, 335 / 2, 335 / 3	0.228
"	"	"	356	0.084
"	"	"	357	0.013
"	"	"	355	0.079
"	"	"	354	0.047
"	"	"	347	0.004
"	"	"	348	0.046
"	"	"	349	0.057
"	"	"	350	0.004
"	"	"	352	0.032
"	"	"	351	0.007
"	"	"	373 / 1, 373 / 2, 373 / 3, 373 / 4	0.088
"	"	"	374	0.018

शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	372/1, 372/2, 372/3	0.016
--	--	--	371	0.004
--	--	--	375/1, 375/2	0.127
--	--	--	376/1/1, 376/1/2, 376/1/3, 376/1/4, 376/2	0.067
--	--	--	377/1, 377/2	0.111
--	--	--	503	0.061
--	--	--	505	0.010
--	--	--	504	0.056
--	--	--	508/1, 508/2	0.014
--	--	--	509	0.056
--	--	--	510	0.053
--	--	--	512	0.125
--	--	--	511	0.058
--	--	--	551/1, 551/2	0.025
--	--	--	550	0.068
--	--	--	549	0.004
--	--	--	552	0.019
--	--	--	548	0.067
--	--	--	545	0.027
--	--	--	546	0.067
--	--	--	547	0.071
--	--	--	599/1/1, 599/1/2, 599/1/3, 599/2/1, 599/2/2, 599/2/3	0.104
--	--	--	598/1, 598/2, 598/3	0.102
--	--	--	597/1, 597/2/1, 597/2/2, 597/2/3, 597/2/4	0.044
--	--	--	601/1/1, 601/1/2, 601/2, 601/3	0.135
--	--	--	603/1, 603/2	0.022
--	--	--	604/1/1, 604/1/2, 604/2, 604/3	0.149
--	--	--	605	0.139
--	--	--	609/1/1, 609/1/2, 609/2, 609/3, 609/4	0.040
--	--	--	606/1, 606/2/1, 606/2/2	0.094
--	--	--	607	0.050
--	--	--	415	0.115
--	--	--	413	0.020
--	--	--	412	0.010
--	--	--	456	0.010

शहडोल	सोहागपुर	धुरवार / 69	389	0.215
—	—	—	339	0.140
—	—	—	338/1/1, 338/1/2, 338/1/3, 338/1/4, 338/1/5	0.180
—	—	—	334/1, 334/2	0.010
—	—	—	337	0.020
—	—	—	336	0.040
—	—	—	340/1, 340/2, 340/3	0.050
—	—	—	513	0.085

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

क्रमांक 13/बी-121/2016-18 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी पटवारी हल्का क्रमांक 61-पोंगरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	723	0.090
—	—	—	722/1, 722/2	0.052
—	—	—	721	0.038
—	—	—	577	0.281
—	—	—	578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 578/5	0.048
—	—	—	579	0.086
—	—	—	710	0.184
—	—	—	712/1, 712/2/क, 712/2/ख	0.166
—	—	—	713/1, 713/2, 713/3	0.185
—	—	—	704	0.164
—	—	—	706/1, 706/2/क, 706/2/ख	0.082
—	—	—	705	0.010

शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	690/1/क, 690/1/ख, 690/1/ग, 690/2/क, 690/2/ख	0.118
--	--	--	692	0.021
--	--	--	693	0.004
--	--	--	694	0.114
--	--	--	687/1, 687/2	0.339
--	--	--	671	0.063
--	--	--	669	0.024
--	--	--	667/1, 667/2	0.121
--	--	--	662	0.004
--	--	--	663/1, 663/2	0.151
--	--	--	655/1, 655/2/क, 655/2/ख, 655/2/ग	0.219
--	--	--	654/1, 654/2	0.316
--	--	--	650	0.014
--	--	--	649	0.125
--	--	--	648	0.127
--	--	--	646	0.038
--	--	--	627/1/क, 627/1/ख, 627/1/ग, 627/2	0.066
--	--	--	826	0.015
--	--	--	57/1, 57/2, 57/3/1, 57/3/2, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8	0.399
--	--	--	63	0.022
--	--	--	64	0.112
--	--	--	66	0.079
--	--	--	73/1/क, 73/1/ख, 73/2	0.117
--	--	--	340	0.044
--	--	--	341	0.039
--	--	--	424/1, 424/2/1, 424/2/2, 424/3	0.027
--	--	--	428/1, 428/1/ख, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 428/7	0.500
--	--	--	426	0.004
--	--	--	68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7/1, 68/7/2, 68/8	0.188

शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	71/1, 71/2, 71/3	0.145
--	--	--	72	0.071
--	--	--	782/1/1, 782/1/2, 782/1/3, 782/1/4	0.129
--	--	--	781/1, 781/2/क/1, 781/2/क/2, 781/2/क/3, 781/2/ख/1, 781/2/ख/2, 781/2/ख/3, 781/2/ग, 781/3	0.151
--	--	--	780	0.115
--	--	--	779	0.043
--	--	--	776/1, 776/2, 776/3	0.318
--	--	--	778	0.014
--	--	--	777	0.004
--	--	--	754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/5/क, 754/5/ख, 754/6, 754/7	0.597
--	--	--	753/1, 753/2	0.538
--	--	--	724	0.175
--	--	--	725	0.098
--	--	--	592/1, 592/2/1, 592/2/2, 592/2/3, 592/2/4, 592/2/5, 592/2/6, 592/2/7	0.117
--	--	--	597/1, 597/2/क, 597/2/ख, 597/2/ग, 597/3/क, 597/3/ख	0.174
--	--	--	600	0.021
--	--	--	591	0.102
--	--	--	589/1, 589/2	0.012
--	--	--	585	0.232
--	--	--	709/1/1, 709/1/2, 709/1/3, 709/2/1, 709/2/2, 709/2/3, 709/3	0.207
--	--	--	707	0.004
--	--	--	708/1, 708/2/क, 708/2/ख, 708/2/ग/1/1, 708/2/ग/1/2, 708/2/ग/1/3	0.140
--	--	--	689	0.004
--	--	--	688	0.139
--	--	--	670	0.004
--	--	--	740	0.043

शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी / 61	736	0.131
--	--	--	737 / 1, 737 / 2, 737 / 3, 737 / 4	0.173
--	--	--	738	0.299
--	--	--	739 / 1, 739 / 2, 739 / 3, 739 / 4	0.363
--	--	--	742 / 1, 742 / 2, 742 / 3, 742 / 4, 742 / 5	0.104
--	--	--	805	0.031
--	--	--	806 / 1, 806 / 2, 806 / 3	0.085
--	--	--	807	0.170
--	--	--	820 / 1, 820 / 2 क, 820 / 2 ख, 820 / 2 ग, 820 / 2 घ	0.080
--	--	--	825 / 1, 825 / 2, 825 / 3, 825 / 4	0.305
--	--	--	824	0.110
--	--	--	672 / 1, 672 / 2	0.120
--	--	--	673	0.170
--	--	--	685 / 1, 685 / 2, 685 / 3	0.050

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एल. यादव, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व).